आवास भारती

वर्ष 20 | अंक 75 | अप्रैल–जून, 2020

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

बैंक के वार्षिक दिवस के अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश

09 जुलाई, 2020

प्रिय मित्रों,

आज राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने 32 वर्ष पूरे कर लिये हैं। तीन वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान, संस्थान ने काफी उतार– चढ़ाव देखें हैं तथा जैसा कि हम आज देखते हैं, बैंक ने आवास वित्त क्षेत्र की संवृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय के साथ इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है तथा इसके फलस्वरूप हमारे देशवासी इससे लाभांवित हो रहे हैं एवं यह आवासीय इकाई और सहायक आवश्यकताओं की अपनी मूल जरुरतों को पूरा करने हेतु आवास वित्त संस्थानों को लाभ पंहुचा रहा है।

पिछला वित्त वर्ष बैंक के लिये महत्वपूर्ण रहा है। कोविड–19 महामारी तथा लॉकडाउन की वजह से वित्तीय क्षेत्र में हुई उथल पुथल के बावजूद, यह राष्ट्रीय आवास बैंक में मेरे सहकर्मियों के प्रयासों का परिणाम ही है कि बैंक द्वारा नये मील के पत्थर स्थापित किये गये, चाहे वह पुनर्वित्त के अंतर्गत हमारी निष्पादकता, पीएमएवाई–सीएलएसएस का प्रबंधन, बेहतर पर्यवेक्षी प्रणाली, नोडल अधिकारियों की तैनाती की संकल्पना, संगठनात्मक पुनर्गठन तथा क्षेत्रीय/क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों को मजबूती प्रदान करना, पदोन्नति प्रक्रिया, नयी मूल्यांकन प्रणाली का अवतरण, कार्यबल नियोजन या विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं में सुधार आदि हो।

बैंक ने अभी समाप्त वित्तीय वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष 24% की वृद्धि करते हुए 31,000 करोड़ रु. से अधिक के पुनर्वित्त संवितरण के स्तर को प्राप्त किया। इन संवितरणों में 88% संवितरण आवास वित्त कंपनियों को किया गया तथा इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 1,000 करोड़ रु. से कम के ऋण बही के साथ 30 लघु आवास वित्त कंपनियां शामिल थी। हमनें 22 नये ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा जिसमें से पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल थे। यह राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों के दृढ़ संकल्प तथा क्षमता को दर्शाता है। कई मिथक टूट गये तथा मुझे यकीन है कि हम आने वाले समय में एक टीम के रूप में इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम है।

सबसे पहले पर्यवेक्षण पर बात करें तो, बैंक ने पर्यवेक्षी गतिविधियों को मजबूत करने हेतु कई उपायों को शुरू किया जैसे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षण तथा निगरानी पर क्षेत्रीय कार्यालयों की अधिक भागीदारी, पर्यवेक्षी ढांचे तथा अर्ली वॉर्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) का प्रारंभ, स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली (ओआरएमआईएस) उन्नत करना आदि। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण बाजार आसूचना के रूप में गहरी पहुंच तथा इसके अतिरिक्त स्थानीय एचपीसी एवं राज्य सरकार एजेंसियों के साथ बेहतर संपर्क प्रदान करने हेतु सक्षम है। इससे हमें अपनी पर्यवेक्षी क्षमता के अनुसार बैंक की एक मजबूत छवि बनाने में सहायता मिलेगी।

पीएमएवाई–सीएलएसएस हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने 9.5 लाख लाभार्थियों के लिये 21,000 करोड़ रु. से अधिक की संचयी सब्सिडी को पार कर लिया। यह हमारे देशवासियों को लाभ पंहुचाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें हम यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ आम लोगों तक पंहुचे।

मैं सभी विभागों तथा उनके अधिकारियों को इन अत्युत्तम लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नये मील के पत्थर स्थापित करने के लिये बधाई देता हूँ। मैं संगठन के सभी आंतरिक विकास हेतु बैंक को संतोषप्रद वर्ष देने के लिये सभी विभागों द्वारा दिये गये समर्थन के लिये उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के दृढ़ संकल्प और समर्पण की सराहना करता हूं।

हालांकि हम इस महामारी द्वारा आये अभूतपूर्व समय के कारण पिछले वर्षों की तरह इस कार्यक्रम को मनाने में सक्षम नहीं है, मुझे यकीन है कि हम इस अद्भुत दिन को अपने दिलों में मनायेंगे, मुझे यकीन है कि यदि हम एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल करेंगे तथा चालू वित्त वर्ष में नयी ऊचांइयों को देखेंगे।

मैं आप सबको वार्षिक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित

(एस. के. होता)

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

बैंक की पत्रिका आवास भारती का एक और बेहतरीय अंक प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अपने आप को गौरान्वित महसूस कर रहा हूँ।

30 जून, 2020 को राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी सफल यात्रा के 32 वर्ष पूरे कर लिये हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इस 32 वर्ष की यात्रा में करीब 25 वर्ष मैं भी इसके स्वर्णिम इतिहास का गवाह रहा हूँ। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने स्थापना काल से लेकर अब तक आवास वित्त क्षेत्र को मजबूत करने में कई कदम उठाये हैं। एक समय था जब आवास ऋण लेना एक कठिन कार्य हुआ करता था और आज यह स्थिति है कि बैंक और आवास वित्त कंपनियां आपको गृह ऋण देने के लिये लालायित हैं। भारत सरकार द्वारा आवास क्षेत्रों को और वैयक्तिक उधारकर्ताओं को दी जाने वाली कर रियायतों एवं ब्याज राहत के मद्देनजर इस क्षेत्र ने बहुमुखी प्रदर्शन किया है एवं देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि आवास क्षेत्र से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 200 उद्योग जुड़े हुये हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आप आवास क्षेत्र की महत्ता का अनुमान लगा सकते हैं। एक आकलन के मुताबित "प्रधानमंत्री आवास योजना" के नियोजन से लाखों लोगों को रोजगार मिला है एवं देश के आवासीय स्टॉक में चहुंमुखी वृद्धि हुई है।

कोविड के चलते जहाँ कई वित्तीय संस्थानों एवं कंपनियों को ऋण देने में धीमापन रहा एवं उनकी वृद्धि दर में कुछ कमी रही, वहीं राष्ट्रीय आवास बैंक ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 31,000 करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्वित्त संवितरण कर एक इतिहास कायम किया। इस संवितरण में 85% से अधिक संवितरण आवास वित्त कंपनियों को किया गया एवं 22 नये प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को भी अपनी ग्राहक सूची में शामिल किया। राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों ने कोविड काल में अपनी अद्भुत कार्यक्षमता का परिचय दिया एवं व्यवसाय के हर क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये। राष्ट्रीय आवास बैंक ने 45 लाख लाभार्थियों के लिये 21,000 करोड़ रु. का अनुदान अब तक वितरित किया है। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता में एक स्तंभ को दर्शाता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि "सबके लिये आवास" के लक्ष्य के साथ "आम आदमी पहले" की परिकल्पना को साकार किया जाये और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एएफडी फ्रांस के साथ किये गये करार के मद्देनजर 300 करोड़ रुपये से अधिक हरित आवास योजना के तहत पुनर्वित्त के रूप में दिये गये एवं इससे महत्वपूर्व बात यह है कि यह राशि अल्प आय वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के ऋणदाताओं को पुनर्वित्त के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संवर्धनात्मक रोल में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय करते हुए आवास क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिये प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में चलनिधि समस्या को दूर करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता का भी बेहतर उपयोग करते हुए बैंक ने 9000 करोड़ रुपये से अधिक संवितरित किया।

मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में भी बैंक और बेहतर प्रदर्शन करते हुए आवास वित्त क्षेत्र के लिये प्रमुख भुमिका निभायेगा। यह सही है कि राह में कई मुश्किलें आ सकती है क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है एवं वित्तीय जगत में होने वाले परिवर्तनों के साथ हमें अपनी वृद्धि दर बनाये रखनी है तथा वित्तीय संस्थान के रूप में लाभप्रदत्ता के साथ–साथ सामाजिक दायित्व को भी निभाना है। इन दोनों भूमिकाओं के बीच एक बेहतर समन्वय से ही हम एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उभर सकते हैं।

मुझे पहले की तरह आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और उम्मीद है कि आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम आगामी अंकों को पाठकों के लिये और सफल बना पायेंगे।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

आप की पाती

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका आवास भारती का अंक जनवरी–मार्च, 2020 पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस अंक में दी गई समसत रचनाएं ज्ञानवर्धक होने के साथ–साथ शिक्षाप्रद भी हैं। आवासीय नीतियों से संबंधित उपर्युक्त मूलभूत विभागीय जानकारी सुधी पाठकों को उपलब्ध करायीं गई हैं। पत्रिका में प्रकाशित अन्य लेख, कहानी एवं कविताएं भी पठनीय एवं प्रशंसनीय है। विद्ववान लेखकों की सुंदर एवं ज्ञानवर्धक कृतियों के समावेश से वास्तव में यह अंक धरोहर स्वरूप संजोने योग्य बन गया है। आशा करते हैं कि आपके द्वारा प्रकाशित आगामी पत्रिकाओं के नवीन अंक हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीया,

(स्निग्धा त्रिपाठी)
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिजर्व बैंक (मुंबई)

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित गृह पत्रिका "आवास भारती" का जनवरी–मार्च, 2020 अंक प्राप्त हुआ। बहुत–बहुत धन्यवाद। पत्रिका में सम्मिलित लेख विविधतापूर्ण उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है। सभी लेखकों एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई। आशा है कि आगे आने वाले अंकों में भी आप इसी प्रकार की जानकारियों से हमें अवगत कराते रहेंगे। इस सुंदर अंक को प्रकाशित करने के लिए आपको एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई। मैं कामना करता हूं कि पत्रिका की यह उत्कृष्टता सदैव बनी रहे।

भवदीय,

(डॉक्टर सुधीर सिंह)
प्रधानाचार्य, बी.एस.के. महाविद्यालय
बरहरवा, झारखंड

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" के अंक–74 जनवरी–मार्च, 2020 की प्रति प्राप्त हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका की रूप सज्जा तथा सामग्री संकलन अत्यंत आकर्षक है। रोचक व ज्ञानवर्धक लेख अपने अंदर ज्ञान–विज्ञान से परिपूर्ण हैं जिनके समावेश ने पत्रिका को संग्रहणीय बना दिया है। श्रेष्ठ रचनाओं के संकलन से परिपूर्ण सुंदर साज–सज्जायुक्त प्रकाशन से जुटी टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

भवदीय,

(गौरव शेखर)
आरआईएनएल
विशाखापट्टनम

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	11
2	हमारे प्रयासों का समुचित प्रतिफल–वसूली पत्र	13
3	मानव बंदोबस्ती पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव	14
4	आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा आवास क्षेत्र	16
5	जैम ट्रिनिटी, इसके लाभ एवं कोविड–19 महामारी के दौरान इसकी प्रासंगिकता	19
6	आवास की मूल संकल्पना	21
7	किफायती आवास कैसे खरीदें	24
8	आवास के लिए लोकेशन का चुनाव	26
9	भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका	28
10	प्रारंभिक भारतीय	30
11	कोविड –19 का प्रभाव	32
12	ईमानदारी – एक जीवन शैली	33
13	युवा पीढ़ी पर बढ़ते दबाव	35
14	मानसिक स्वास्थ्य	37
15	गृह निर्माण कला	40
16	कोरोना महामारी पर निशा का संदेश	43
17	झारखंड के कुछ प्रमुख शहर	45
18	काव्य सुधा	48

कुल तकनीकी लेख	– 10
कुल सामान्य लेख	– 06
कुल योग	– 16

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 20, अंक 75, अप्रैल-जून, 2020

प्रधान संरक्षक
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

उप संरक्षक
वी. वैदीश्वरण
कार्यपालक निदेशक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
सुशांत कुमार पाढ़ी, महाप्रबंधक
मोहित कौल, सहायक महाप्रबंधक
पीयूष पाण्डेय, सहायक महाप्रबंधक
श्याम सुंदर, क्षेत्रीय प्रबंधक
राम नारायण चौधरी, प्रबंधक
कृष्ण चंद्र मौर्य, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

राष्ट्रीय आवास बैंक

– 9 जुलाई, 2020, नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2020 के दौरान रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त संवितरण में रिकॉर्ड 24% की वृद्धि

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान है, जो अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। रा.आ.बैंक, आवास वित्त हेतु शीर्ष संस्थान है जिसका परिचालन 9 जुलाई, 1988 को प्रारंभ हुआ तथा जैसा कि आज हम देखते हैं कि बैंक ने आवास वित्त क्षेत्र के विकास तथा संस्थापन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अपने 32वें वित्त वर्ष 2019–20 (जुलाई 2019 – जून 2020) के दौरान, बैंक ने पीएमएवाई–सीएलएसएस (शहरी), के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में अन्य उपलब्धियों के साथ–साथ वित्तीय सहायता के संवितरण, पर्यवेक्षी पहल एवं इसके कार्य–निष्पादन के संबंध में कई मील के पत्थर स्थापित किये हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कुल पुनर्वित्त संवितरण में अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं अर्थात उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस), चलनिधि अंतर्वेशन सुविधा (लिफ्ट), विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ), किफायती आवास निधि (एएचएफ), हरित आवास आदि के अंतर्गत 31,250 करोड़ रु. से अधिक के रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त करते हुए पुनर्वित्त संवितरण में वर्ष दर वर्ष 24% की वृद्धि हुई। आ.वि.कं. की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किये गये कुल संवितरण में से 88% संवितरण आवास वित्त कंपनियों को किया गया तथा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से 30 आवास वित्त कंपनियां ऐसी थी जिनका ऋण बही का आकार 1000 करोड़ रु. से कम था। बैंक की पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत लायी गयी 22 नयी आवास वित्त कंपनियों तथा 4 स्मॉल फाइनेंस बैंकों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक का पुनर्वित्त पोर्टफोलियो में वर्ष–दर–वर्ष 20% की वृद्धि हुई है।

इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक ने पीएमएवाई – सीएलएसएस (शहरी) के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से 3.32 लाख परिवारों को 7,571 करोड़ रु. का संवितरण किया है। संचयी रूप से, यथा 30 जून, 2020 को रा.आ.बैंक ने केन्द्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में 9.55 लाख परिवारों को 21,633 करोड़ रु. की सब्सिडी का संवितरण किया है। ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) के अंतर्गत, 30 जून, 2020 तक रा.आ.बैंक ने लाभांवित 2,733 लाभार्थी परिवारों को 8.36 करोड़ रु. की सब्सिडी संवितरित की है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्षेत्र के कार्मिकों के पास अपेक्षित कौशल एवं ज्ञान हो, रा.आ.बैंक ने संपूर्ण भारत में आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों के 215 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आवास वित्त कंपनियों की महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

रा.आ.बैंक ने अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के भाग के रूप में, पीएमकेयर्स फंड में 2.5 करोड़ रु. की राशि का योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, एक दिन का वेतन अर्थात 3.80 लाख रु. का योगदान दिया गया।

दशकों से रा.आ.बैंक का प्रयास, विशेष रूप से किफायती आवास खंड में अंतिम ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस एवं स्थिरता के साथ आवास वित्त प्रणाली के विकास की ओर रहा है। रा.आ.बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनियामक एवं वित्तीय दोनों उपायों को सार्थक रूप में कार्यान्वयित किया जाये, ताकि इस क्षेत्र पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, रा.आ.बैंक को आवास वित्त क्षेत्र में दुनिया में फैली महामारी की वजह से चलनिधि संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा 10,000 करोड़ रु. की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की गई थी। समय की आवश्यकता को समझते हुए, रा.आ.बैंक ने 53 आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों को 9,992 करोड़ रु. संस्वीकृत किए हैं, जिसमें से 9,537 करोड़ रु. 30 जून, 2020 से पहले संवितरित किए गए थे। यह उल्लेख करना उचित है कि मार्च से जून 2020 तक 4 महीने की अवधि के दौरान रा.आ.बैंक ने आ.वि.कं. को ही 25,000 करोड़ रु. से अधिक की कुल पुनर्वित्त सहायता प्रदान की थी।

बैंक अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध है तथा किफायती आवास वित्त गरीबों एवं जरूरतमंदों तक पहुँचाकर सबके लिए आवास के भारत सरकार के उद्देश्य हेतु कार्य करना जारी रखेगा।

बैंक में नव-नियुक्त तथा पदोन्नत कार्यपालक निदेशकगण

श्री राहुल भावे

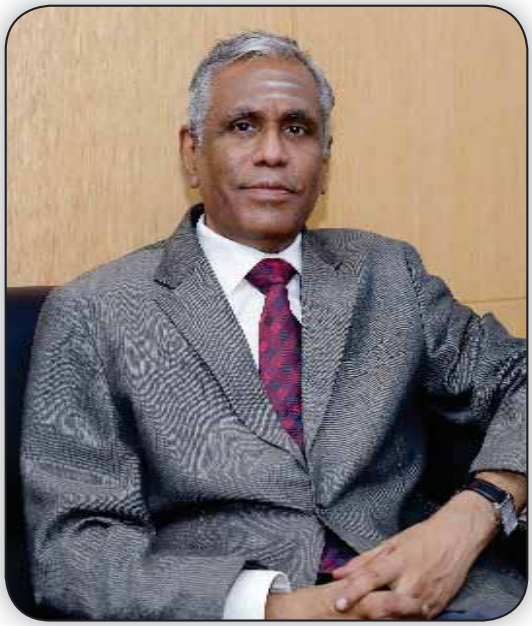

श्री वी वैदेश्वरन

श्री राहुल भावे : श्री राहुल भावे ने राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 31 जुलाई, 2020 को कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री भावे केनरा बैंक में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। श्री राहुल भावे को वरिष्ठ बैंकर के रूप में 20 वर्षों का वाणिज्यिक बैंकिंग का गहन अनुभव है।

श्री वी वैदेश्वरन : श्री वी वैदेश्वरन ने दिनांक 14 अगस्त, 2020 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय आवास बैंक में ही महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। श्री वी वैदेश्वरन बैंक में पिछले करीब 31 वर्षों से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

बैंक की मुख्य उपलब्धियां

1988–89 वित्तीय वर्ष	• राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना • आवास ऋणों हेतु पुनर्वित्त योजनाएं शुरू की गईं • भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं हेतु योजनाएं शुरू की गईं • आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.)/भवन निर्माण सामग्री कंपनियों में इक्विटी सहभागिता हेतु योजना शुरू की गईं
1989–90	• आवास ऋण खाता योजना शुरू की गईं • आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 1989 जारी किया गया • यूएसएआईडी सरकारी आवास गारंटी कार्यक्रम के तहत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पहला ऋण) का ऋण
1990–91	• राष्ट्रीय आवास बैंक को "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के रूप में अधिसूचित किया गया
1991–92	• ओईसीएफ (वर्तमान में जेबीआईसी) से 2,970 बिलियन येन ऋण सहायता प्राप्त की • आवासीय अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए योजना का शुभारंभ
1992–93	• मलिन–बस्ती पुनर्विकास परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजनाएं शुरू की गईं
1994–95	• असुरक्षित बांड के निर्गम का शुभारंभ • आ.वि.कं. हेतु विवेकपूर्ण मानदंड हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए
1997–98	• स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना पेश की गई • स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त के वित्तपोषण हेतु कर मुक्त बांड जारी किए • एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1997–98 में 20 मिलियन यूएस डॉलर तथा वर्ष 1998–99 में 30 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त किए
2000–01	• भारत में प्रथम रिहायशी मॉर्टगेज समर्थित प्रतिभूतियां (आरएमबीएस) जारी की गई • बीमा कारोबार में आ.वि.कं. के प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए • गुजरात में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय इकाईयों के पुनर्निर्माण हेतु पुनर्वित्त योजना की घोषणा की गई
2002–03	• आवास ऋणों हेतु उदारीकृत पुनर्वित्त योजना पेश की गई
2004–05	• आरएमबीएस पर आ.वि.कं. को कारपोरेट गारंटी पहली बार प्रदान की गई
2005–06	• आवास ऋण पर किए गए धोखाधड़ी की सूचना प्रसारित करने के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई
2006–07	• एनएचबी रेजीडेक्स शुरू किया गया (प्रथम आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक) • नए उत्पादों का विकास समाज के अनछुए वर्गों के लिए किया गया • वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मॉर्टगेज लोन

	• ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक आवास (पीएचआईआरए) • इंदिरा आवास योजना लाभार्थियों के लिए टॉप–अप ऋण के लिए पुनर्वित्त • नई ग्रामीण आवास वित्त कंपनियों में इक्विटी भागीदारी • समसामयिक पेपर एवं चर्चा पेपर श्रृंखला पेश किए गए • हैदराबाद में पहला क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया
2007–08	• रा.आ.बैंक में ग्रामीण आवास निधि की स्थापना • ग्रामीण आवास माइक्रोफाइनेंस का शुभारंभ किया गया • गरीब आवास वित्त को केंद्र में रखते हुए एनएचबी – यूएनईएससीएपी का अध्ययन – 7 एशियाई देशों ने पहल की • आवास हेतु जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं हेतु यूएन हैबीटेट के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया • गृह ऋण परामर्श डिप्लोमा कार्यक्रम आईआईबीएफ के साथ प्रस्तुत किया गया • चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए
2008–09	• एनएचबी रेजीडेक्स में 10 नए शहर जोड़े गए • आरएमएल परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ और चार शहरों में परामर्श केंद्र खोले गए • आवास सूचना पोर्टल (एचआईपी) का शुभारंभ किया गया • एनएचबी सुनिधि और एनएचबी सुवृधि, दो मीयादी जमा योजनाओं का शुभारंभ किया गया • 6वां क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद में खोला गया
2009–10	• दक्षिण एशिया क्षेत्र में अन्य संस्थानों/देशों के साथ आवास वित्त (APUHF) के लिए एशिया पैसिफिक यूनियन का विकास
2010–11	• एनएचबी का संवितरण 12,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो सर्वकालिक उच्च है • ऊर्जा कुशल आवास को बढ़ावा देने के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ सहयोग • ग्रामीण आवास में कार्य करने के लिए SKOCH वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2011 • वर्ष 2011 के विकास वित्त–नेतृत्व गरीबी उन्मूलन के लिए ADFIAP पुरस्कार • 2 अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय (आरआरओ) पटना और भोपाल में खोले गए जिससे अब कुल आरआरओ की संख्या आठ है
2011–12	• वर्ष 2011–2012 में ₹14,390 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरण जो वर्ष 2010–2011 के मुकाबले 22% अधिक था। • ग्रामीण आवास हेतु 5,607 करोड़ का संवितरण जो कुल पुनर्वित्त संवितरण का 39% था। • एनएचबी रेजीडेक्स 5 नये शहरों को कवर करने हेतु जनवरी 2012 से विस्तारित हुआ है जिससे अब कुल शहरों की संख्या 20 हो गयी है। • रा.आ.बैंक द्वारा प्रबंधित किये जाने वाले दिनांक 1 मई, 2012 को स्थापित निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) • रा.आ.बैंक को 'आवास' श्रेणी में भारत में ऊर्जा कुशल नया रिहायशी आवास में अपनी परियोजना के लिए दिया गया SKOCH वित्तीय समावेशन पुरस्कार – 2012

	• रा.आ.बैंक को पुरस्कृत एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन इन एशिया एंड पेसिफिक (ADFIAP) से वर्ष 2012 के लिए ऊर्जा कुशल आवास हेतु योग्यता प्रमाण पत्र • रा.आ.बैंक को आईपीई बीएफएसआई अवार्ड्स 2012 में बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड दिया गया
2012–13	• वर्ष 2012–2013 में ₹17,635 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरण जो वर्ष 2011–2012 के मुकाबले 22% अधिक था। • विकसित किये गये तीन नये उत्पाद यानी शहरी निम्न आय आवास हेतु विशेष पुनर्वित्त योजना, घरों में सौर जल तापक एवं प्रकाश उपकरण की संस्थापना हेतु पुनर्वित्त योजना और किफायती आवास के लिए निर्माण वित्त के लिए पुनर्वित्त योजना • 6.94% के औसत प्रतिफल पर सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से निर्गमन सहित संगठित 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड • एनएचबी रेजीडेक्स का विस्तार 6 नए शहरों जैसे कि चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, मेरठ, नागपुर और रायपुर से हुआ, जिसके चलते अब यह 26 शहर कवर करता है • दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बैंक की आंतरिक पत्रिका 'आवास भारती' ने प्रथम पुरस्कार जीता
2013–14	• परिचालन लाभ लगभग 18% तक और कर पश्चात लाभ ₹450 करोड़ से ₹ 487 करोड़ तक 8% से अधिक बढ़ गया • स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत वित्तपोषित कुल इकाईयाँ 3,83,971 थीं। शुरुआत में वित्तपोषित कुल इकाईयाँ 42,98,863 थीं। • रा.आ.बैंक एवं यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, डीएफआईडी ने आठ निम्न आय राज्यों (एलआईएस) में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए £50 मिलियन तक रा.आ.बैंक को डीएफआईडी की सहायता प्रदान करने के लिए इसमें निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार जिसमें महत्वपूर्ण मानदंडों के रूप में ऋण आकार, आय शामिल है, करार किया है। • भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक के साथ साझेदारी में रा.आ.बैंक ने कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को उनकी आवास आवश्यकताओं हेतु निधि के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। रा.आ.बैंक विश्व बैंक से पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये 100 यूएस मिलियन डॉलर प्राप्त करेगा जिसका उपयोग प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) द्वारा विस्तारित खुदरा ऋणों को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा, जो कार्यक्रम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं। • रा.आ.बैंक ने भारतीय हरित निर्माण काउंसिल (आईजीबीसी) के साथ ऊर्जा कुशल आवास को बढ़ावा देने, सूचनाओं के आदान–प्रदान करने, क्षमता निर्माण, कार्यक्रमों और बैठकों में नेटवर्किंग और "रा.आ.बैंक ऊर्जा कुशल आवास और आईजीबीसी हरित आवास" के बीच तालमेल स्थापित करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया। • 10/5/20 वर्षों के परिपक्वता काल हेतु सार्वजनिक निर्गमों/ निजी स्थानन के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत अभिलाभों वाले कर मुक्त बॉण्ड जारी करने के माध्यम से 4000 करोड़ रुपये संगठित किये गये। पहले दिन सभी निर्गमों पर अति अभिदत्त किया गया। बॉण्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और व्यापार योग्य हैं।
2014–15	• रा.आ.बैंक का कुल आस्ति आकार 2014–15 में ₹50,000 करोड़ से अधिक था। • पुनर्वित्त संवितरण ने वर्ष 2014–15 के दौरान ₹21,847 करोड़ की नई ऊंचाई हासिल की, जिसके मुकाबले 2013–14 में ₹17,856 करोड़ के संवितरण पर 22.35% की वृद्धि दर्ज की गई। यह रा.आ.बैंक द्वारा किया गया अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संवितरण था

	• 10 लाख तक ऋणों का पुनर्वित्त संवितरण पिछले वर्ष में ₹6,173 करोड़ के एवज में वर्ष 2014–15 में ₹9,710 करोड़ के आंकड़े तक पहुँच गया। • पुनर्वित्त संवितरण का 25.38% ग्रामीण आवास यानी ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) को किया गया। • वर्ष 2014–15 के दौरान, 6 आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया है, जिससे रा.आ.बैंक के साथ पंजीकृत आ.वि.कं. की संख्या यथा 30–06–2015 को 65 तक बढ़ गई है। • शिकायत पंजीकरण और सूचना डेटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स), 24x7 ऑन–लाइन डेटाबेस प्रणाली को लागू किया, जो शिकायत दर्ज करने और अपने स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आवास वित्त कंपनी/रा.आ.बैंक के ग्राहक को सुविधा प्रदान करता है। • कार्यान्वित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली। • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण आधारित सब्सिडी योजना हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। • आंतरिक पत्रिका 'आवास भारती' को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013–14 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। • 'आवास भारती' को दिल्ली बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की ओर से भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया
2015–16	• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹1,000 करोड़ की पूंजी का अंतः प्रवाह • ₹792 करोड़ का पैट • रा.आ.बैंक ने, सीएलएसएस के कार्यान्वयन हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में, 145 प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यथा 30–06–2016 तक, रा.आ.बैंक ने 57 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को ₹119.53 करोड़ की ब्याज सब्सिडी का संवितरण किया • सीएलएसएस दावे को दर्ज करने हेतु पीएलआई के लिए एक 24x7 ऑन–लाइन पोर्टल विकसित और कार्यांवयित किया गया था ताकि सीएलएसएस के तहत ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग के लिए रा.आ.बैंक में प्रवर्तन काल को कम किया जा सके। • वर्ष के दौरान तीन शोध अध्ययनों को शुरू किया गया
2016–17	• ₹848 करोड़ का पैट • रा.आ.बैंक ने, सीएलएसएस के कार्यान्वयन हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में, यथा 31–12–2017 तक, 113 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को ₹1600 करोड़ की ब्याज सब्सिडी का संवितरण किया • सीएलएसएस दावे को दर्ज करने हेतु पीएलआई के लिए एक 24x7 ऑन–लाइन पोर्टल विकसित और कार्यांवयित किया गया था ताकि सीएलएसएस के तहत ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग के लिए रा.आ.बैंक में प्रवर्तन काल को कम किया जा सके।

2017–18	• नया एनएचबी रेजीडेक्स शुरू किया गया और अब यह 50 शहरों को कवर करता है • वित्त अधिनियम, 2018 में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया, जो अन्य बातों के साथ रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार को रा.आ.बैंक की शेयर पूंजी के हस्तांतरण में सक्षम बनाता है। • भारत सरकार ने रा.आ.बैंक में किफायती आवास निधि की स्थापना की घोषणा की • संचयी पुनर्वित्त संवितरण ₹2 लाख करोड़ से अधिक था
2018–19	• बैंक की कुल आस्ति ₹75,000 करोड़ से अधिक थी • बैंक का पुनर्वित्त संवितरण ₹25,000 करोड़ से अधिक था • बैंक की पुनर्वित्त बकाया राशि ₹69,000 करोड़ से अधिक था • केंद्रीय बजट 2019 में घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2902 (ई), दिनांकित 09.08.2019 में दिनांक 09.08.2019 को अधिसूचित किया, जिस तिथि से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय VI के भाग VII के प्रावधान लागू होंगे। तदनुसार, दिनांक 09.08.2019 से, आ.वि.कं. का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित हो गया।
2019–20	• बैंक की कुल आस्तियां ₹90,000 करोड़ के पार • बैंक का पुनर्वित्त संवितरण ₹30,000 करोड़ के पार • स्माल फाइनेंस बैंक को पुनर्वित्त की शुरूआत • 22 नए पुनर्वित्त ग्राहक शामिल

"हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।"

– मदन मोहन मालवीय

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"

– महात्मा गाँधी

"हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।"

– डॉ राजेंद्र प्रसाद

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

बैंक के पदोन्नत किए गये अधिकारियों को बधाई

उप महाप्रबंधक (स्केल – VI) से महाप्रबंधक (स्केल – VII) में पदोन्नति

श्री विशाल गोयल

श्री विनीत सिंघल

श्री सुशांत कुमार पाढ़ी

सहायक महाप्रबंधक (स्केल – V) से उप महाप्रबंधक (स्केल – VI) में पदोन्नति

श्री अशोक कुमार

श्री मनोहर मिरयाला

क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल – IV) से सहायक महाप्रबंधक (स्केल – V) में पदोन्नति

श्री पीयूष पांडे

श्री आदित्य शर्मा

श्री विक्रम देवा

श्री आर.के. अरविंद

श्री हेमकुमार गोपालकृष्णन

श्री वी मागेश कुमार

सुश्री मेघना प्रकाश

प्रबंधक (स्केल – III) से क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल – IV) में पदोन्नति

श्री टोटा वेंकटेश

उप प्रबंधक (स्केल – II) से प्रबंधक (स्केल – III) में पदोन्नति

सुश्री सोनिया भल्ला

श्री धीरज कुमार

सुश्री स्तुति रुचा

श्री राज कुमार नेगी

सुश्री नेहा गौर

श्री प्रभात रंजन

सहायक प्रबंधक (स्केल – I) से उप प्रबंधक (स्केल – II) में पदोन्नति

सुश्री मेनका राणा

सुश्री मधुमिता

सुश्री धरा मनोज मेहता

हमारे प्रयासों का समुचित प्रतिफल - वसूली पत्र

– विशाल गोयल, महाप्रबंधक

हमारे व्यवसाय जिसमें हम सभी कार्यरत हैं, में वसूली/संग्रह हमारे कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग है। वास्तव में, अधिकांश संस्थानों में इस उद्धेश्य के लिए विशेष रूप से अलग से वसूली प्रकोष्ठ बनाये गये है। इस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों से यह अपेक्षित होता है कि उनके पास कुछ कुशलता/विशेषता हो जिससे कि संस्थान की निष्पादकता बेहतर हो सके। संग्रह प्रक्रिया का रिकार्ड रखना तथा उसकी निरंतर रूप से जांच करते रहना इनमें से एक कुशलता है। हम यहाँ संग्रह पत्र लिखने और प्रक्रिया की निरंतर जांच के लिए कुछ सबल किंतु प्रभावी तरीकों को इंगित कर रहें है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसूली पत्र पैसों की वसूली के लिए मुख्य रूप से लिखे जाते है जो कि संस्थान को देय है। इस प्रक्रिया को प्रभावी तथा उधारकर्ता अनुकूल बनाने के लिए यह समझना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित तीन चरणों में नियोजित होनी चाहिए:

क. अनुस्मारक चरण
ख. विचार–विमर्श चरण
ग. अत्यावश्यकता चरण

प्रत्येक चरण को एक अलग योजना, धारणा, अपील और दृष्टिकोण से निपटने की आवश्यकता है। साथ ही मामलों की संख्या प्रत्येक चरण के आधार पर भिन्न होगी। आइए प्रत्येक चरण को अधिक गंभीरता से देखें।

अनुस्मारक चरण

यह संग्रह प्रक्रिया में पहला चरण है और नियत तारीख के 3–5 दिनों के भीतर होता है। अनुस्मारक चरण के दौरान, हमारी योजना प्रत्यक्ष कटौती योजना होनी चाहिए, जहां हम अपना प्रमुख विचार इंगित करते है जो कि देय भुगतान (राशि और तारीख) का विवरण होगा तथा पूरक खंड पर खत्म होगा। इस चरण में, यह धारणा है कि व्यक्ति भुगतान करना भूल गया अर्थात उसकी तरफ से अनदेखा हो गया तथा उसके भुगतान करने या ना करने की इच्छा के संबंध में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनुस्मारक चरण के दौरान किसी अपील की आवश्यकता नहीं हैं।

व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए, कुछ ध्यान देने वाले अलग तरीकों जैसे रंगीन स्टिकर, बड़े अक्षर आदि का उपयोग करना चाहिए ताकि उक्त अलग से नजर आये। विचार–विमर्श के चरण के अगले चरण पर जाने से पूर्व आवश्यक रूप से 1–4 ऐसे अनुस्मारक देने पर विचार कर सकते हैं। ऐसे 1–4 अनुस्मारक की समय अवधि 15–20 दिनों के बीच होनी चाहिए।

विचार–विमर्श चरण

1–4 अनुस्मारक के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह समय हमारी धारणा बदलने का है, कि व्यक्ति भुगतान करना भूल गया है, तो धारणा यह हो कि, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि व्यक्ति स्टेशन से बाहर चला गया हो, बीमार पड़ गया हो आदि, इस प्रकार इस चरण के दौरान हमारा प्रयास उसकी स्थिति समझाने के लिए होना चाहिए। व्यक्ति को सकारात्मक अपील जैसे सहयोग/सहानुभूति, उचित व्यवहार, अथवा व्यक्ति के पिछले अच्छे ट्रैक रिकार्ड के विषय में तथा उसकी क्रेडित रेटिंग बताकर उसकी स्थिति को समझने का बेहतर प्रयास किया जाना चाहिए। एक बार व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति बताने पर वह या तो समस्या को समझाने या बहाने बनाने का प्रयास करेगा। इस चरण के दौरान एक सकारात्मक प्रेरक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और उक्त शायद केवल 2–3 बार अपनाया जा सकता है।

अत्यावश्यकता चरण

तीसरा और अंतिम चरण अत्यावश्यकता के लिए है अब तक, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्ति भुगतान नहीं करना चाहता है। इस प्रकार किसी सकारात्मक अपील की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रत्यक्ष कार्यवाही योजना जिसमें भुगतान न करने पर होने वाले परिणाम व समुचित विधि कार्यवाही किया जाना शामिल है, जरूरी हो जाता है। यह केवल एक बार किया जाना चाहिए जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त प्रक्रिया के बाद, कानूनी चरण के दौरान हमारा पक्ष मजबूत होगा, जिसमें अनुस्मारक की संख्या, प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का पालन करना आदि सभी हमारे पक्ष में होंगे। तथापि, संग्रह पत्र लिखते समय एक सकारात्मक सोच के साथ बहुत धैर्य, परिपक्वता और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बेवक्त ना बुलाया जाए, या उसके परिवार/पड़ोसी/दोस्तों को स्थिति आदि के संबंध में जाने एवं इस प्रकार के अन्य कार्यों से बचा जाना चाहिये।

मानव बंदोबस्ती पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव

– रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक

संपूर्ण विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1970 में शुरू हुई एवं इसके साथ की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीति परिवर्तनों के उथल–पुथल का दौर भी आरंभ हो गया। मुख्य रूप से वैश्वीकरण से संबंधित चार मुख्य संघटक ये हैं:–

(क) तीव्र औद्योगिक परिवर्तन

(ख) व्यापारजन्य उपक्रमों में वृद्धि और शक्ति का सकेन्द्रण

(ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश का परिणामी विस्तार

(घ) सेवाओं एवं सुविधाओं का बाजीकरण

उक्त मुख्य रूप से वैश्वीकरण से संबंधित चार मुख्य संघटक हैं परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अगर इन मुख्य संघटनों से संकल्पना परिवर्तन की भी संभावनाएं दृष्टिगोचर होती है। प्रौद्योगिकीय प्रगति स्वयं में, अपने प्रयोग पर निर्भर करते हुए लाभदायक अथवा हानिकारक हो सकती है। उसका प्रयोग विशुद्ध रूप से केवल व्यापारिक उपक्रमों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए तब यह हानिकारक हो सकती है। राष्ट्रों के बीच बर्धित व्यापार लाभदायक होना चाहिए किंतु यदि यह असमान शर्तों पर होता है, तब वह राष्ट्रीय नीतियां अवधारित करने में लोगों के अधिकारों का उल्लंधन हो सकता है। बाजारीकरण का सदैव बढ़ता क्षेत्र विशेषकर तब, जबकि यह जीवन की आवश्यकताओं पर लागू होता है तो यह अधिकांशतः गरीबों अर्थात विश्व के अधिकतम लोगों के लिए हानिकारक है।

वैश्वीकरण से नगरों में रहने वालें या यूं कहें कि मानव बंदोबस्ती पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का लेखा–जोखा कुछ इस प्रकार है:

नगरों पर वैश्वीकरण का तत्काल सर्वाधिक प्रभाव निर्धनता तथा गरीबी एवं अमीरी के बीच उत्पन्न होती खाई है। इसका परिणामस्वरूप संसार के लगभग प्रत्येक नगर में जहां एक ओर अमीरों की गगनचुंबी इमारतें ध्वज के समान खड़ी हैं वहीं दूसरी ओर उसके साये में गरीबों की मलिन बस्तियां भी अपना आंचल पसारे है। यह केवल प्रौद्योगिकी का परिणाम नहीं है यह उस बात का परिणाम है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया गया है और किसने किया है। आज वैश्वीकरण के दौर में अमीरों का सपना केवल और अमीर बनाना है एवं आज के विषम युग मे एवं केन्द्रीयकृत प्रणाली में ऐसा तभी होता है जब गरीब को और गरीब बनाया जाए। धीरे–धीरे बढ़ने वाला यह अंतर एक दिन महाअंतराल का रूप धारण कर लेता है एवं गरीबों और अमीरों के बीच एक विद्वेष की भावना भड़कती है जिससे अन्य विषय घातक परिणाम सामने आते हैं।

नगरों में आवास पर वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उन सभी देशों पर भारी दबाव पड़ता है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कानूनों के संपत्ति अधिकारों पर अपने कानूनों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के इच्छुक है। इस प्रक्रिया से आवास का बाजारीकरण हुआ है। इसका निहितार्थ है कि निजी स्वामित्व ही भूधृति की प्रतिभूति का एकमात्र मार्ग है। स्वामित्व एवं अधिभोग के सामूहिक, सामाजिक रूप से और अधिक सुरक्षा मिलनी चाहिए एवं यह सत्य भी है किंतु वैश्वीकरण स्वामित्व के ऐसे स्वरूप के विरूद्ध कार्य करता है। आज नई व्यापार नीति के तहत अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि विदेशी प्रवर्त्तक दूसरे देशों में जाकर नई आवासीय परियोजनाएं लगायेंगे। विकसित देशों में शायद यह बढ़ते व्यापार का एक मुख्य संघटक हो परंतु भारत जैसी विकासशील देश में इस प्रकार की आवासीय परियोजनाएं समाज के किस वर्ग के लिए होंगी यह विवेचित करने की आवश्यकता नहीं है।

वैश्वीकरण स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों पर लोक सेवाओं के निजीकरण के लिए दबाव ड़ालता है। अतः जलापूर्ति, कूड़े कचरे उठाना, विद्युत व्यवस्था जैसी लोक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने जारी

हो चुकी है। ये सेवाएं केवल उन लोगों को दी जाती हैं जो उनके लिए पैसा देते हैं। वैश्वीकरण सेवाओं के निजीकरण के लिए राष्ट्रीय फर्मो के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय फर्मो के द्वारा खोलता है किंतु परिणाम

वही है। आज भारत सहित कुछ देशों में लोग सेवाओं के निजीकरण का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि ये सेवाएं अनियमित हैं एवं इन सेवाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। परंतु सरकार आगे आकर यह अनियमितताएं दूर करने और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रणाली विकसित करने की बजाय इनके निजीकरण का सहारा ले रही है। वह समय दूर नहीं जब इन लोकसेवाओं के निजीकरण के कुछ सालों के बाद सरकार एवं जनसमुदाय को अपने निर्णयों का भारी खामियाजा भुगतान पड़ेगा एवं विकसित देशों की भांति देश के हर वर्ग को इन सेवाओं के बदले में अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग देना पड़ेगा जो भारत जैसे श्रमप्रधान एवं विकासशील देश की परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है।

वैश्वीकरण से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। वैश्वीकरण न केवल पर्यावरण के सरंक्षण के लिए स्थानीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है। यह केवल लाभ के आधार पर अग्रताएं निश्चित करता है, पर्यावरणीय गुणवत्ता के अनुसार नहीं। क्योंकि समझौते का वाद विवाद इसका प्रत्यक्षः उदाहरण है।

न्यूयार्क तथा वाशिंगटन डीसी में 11 सितंबर की घटनाओं ने नगरों को एक और सकंट में डाल दिया है। अगर यह घटनाएं अप्रत्यक्षतः वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव ही कहा जाएं तो गलत नहीं होगा। आतंकवाद का संघात नगरों में काफी प्रचंड केवल इसलिए नहीं है कि आतंकवाद नगरों में अधिक क्षति एवं चोट पहुंचा सकता है अपितु केवल इसलिए भी कि बड़े नगरों में आतंक का अनुभव अधिक किया जाता है, विशेषकरण उन नगरों में जिनमें शक्ति और पहचान के प्रतीक सुदृढ़ होते हैं।

इन हादसों के बाद सं.रा. अमेरिका में अपनाए गए सुरक्षा उपायों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंध, सुरक्षा बलों की बढ़त शक्ति और लोकतांत्रिक नियंत्रण का त्याग। इन सभी ने नगरों के उस सत्व को जोखिम में डाल दिया है जो सत्व नगरों को विश्व के बहुत से लोगों के लिए आकर्षक बनाता है।

वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप बदलने की नितांत आवश्यकता है वरना नगरों का भविष्य नगण्य एवं प्रभाव शून्य हो जाने की आशंका है। भविष्य में इस दिशा में क्या होगा या क्या नहीं– यह उन प्रयासों के दृढ़ निश्चिय पर निर्भर करता है, जिनका अभी निर्धारण ही नहीं किया गया है।

आज ज्वलंत प्रश्न हैं कि क्याः–

- राष्ट्रीय के बीच समानता बढ़ेगी?
- क्या विश्व व्यापार संगठन विशुद्ध रूप से मुक्त व्यापार पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय जीवन स्तर ऊंचा करने का बीड़ा उठाएगा?
- क्या नगरों की सरकारों से अंतर्राष्ट्रीय दृश्यों पर स्पर्धा के लिए बल्कि पहले अपने निवासियों को सरंक्षण देने के लिए कार्य किया जाएगा?
- क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित किए जाएंगे और उन्हें विवादों का समाधान करने के लिए एक समान मानक स्थापित करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा?

वैश्वीकरण के खतरों एवं इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए प्रभावी एवं समग्रचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर वैश्वीकरण का स्वरूप इसकी संकल्पना में परिवर्तन नहीं हुआ तो मानव बंदोबस्ती पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा आवास क्षेत्र

– अमय कुमार, सहायक प्रबंधक

'आत्मनिर्भर भारत' भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अंतर दृष्टि है। इसका पहली बार उल्लेख कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए 12 मई, 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये (भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के समतुल्य) के विशेष आर्थिक एवं व्यापक पैकेज की घोषणा के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' या 'आत्मनिर्भर भारत आंदोलन' के रूप में किया गया था।

विशेष आर्थिक एवं व्यापक पैकेज की घोषणा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को सक्षम बनाने के एवज में भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, यह कोविड–19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग एवं उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभियान को बढ़ावा देने के लिए, 'वोकल फॉर लोकल' अभियान शुरू किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत स्वयं को शेष विश्व से अलग नहीं करेगा, न ही वह व्यापार विरोधी नीतियों या संरक्षणवाद को अपनाएगा। बल्कि, भारत उन उद्योगों एवं क्षेत्रों की पहचान करेगा तथा उन्हें बढ़ावा देगा जहां इसे बढ़ाने की क्षमता और योग्यता है और यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक हो।

इसके अतिरिक्त, अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा पांच स्तंभों की पहचान की गई है।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

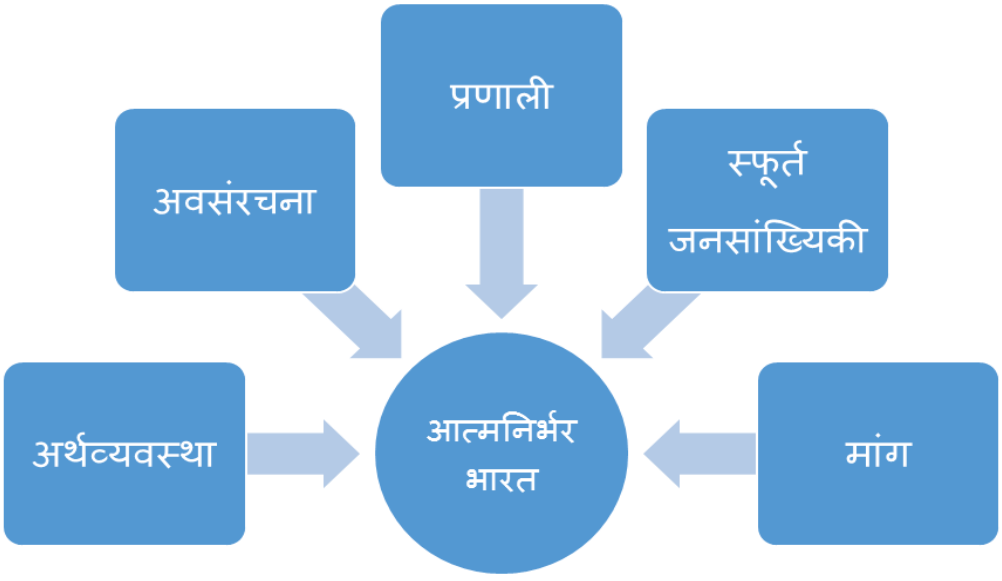

आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं आवास क्षेत्र:

भारत सरकार ने 2022 तक सभी नागरिकों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 2015 में एक सामाजिक कल्याणकारी फ्लैगशिप योजना 'सबके लिये आवास' मिशन शुरू किया था। मिशन के दो घटक हैं:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई–शहरी) : योजना शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अंतर्गत वर्ष 2015 में शुरू की गई।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई– ग्रामीण) : योजना ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2016 में शुरू की गई।

इसके अतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में, कोविड–19 महामारी से प्रभावित आबादी के वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को पूरा करने तथा आवास क्षेत्र में आर्थिक पुनरुत्थान के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की गई है। कुछ पहलों को नीचे वर्णित किया गया है:

- **एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष चलनिधि योजना :** सरकार ने ऋण बाजारों पर अर्जन जुटाने में एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए ₹ 30,000 करोड़ की विशेष चलनिधि योजना शुरू की है। यह एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए चलनिधि बढ़ाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के उपायों की आगे अनुपूर्ति करेगा। इस योजना के तहत, निवेश एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के निवेश ग्रेड ऋण पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार लेनदेन दोनों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की पूर्ण गारंटी दी जाएगी।

- **एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीएमजीएस) 2.0 :** आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीएमजीएस) वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी/एचएफसी से उच्च दर वाली पूल आस्तियों की खरीद हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। प्रथम 10% हानि या 10,000 करोड़ रु., जो भी कम हो, गारंटर यानी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत, पीएमजीएस 2.0 को शुरू किया जाएगा तथा मौजूदा पीसीजीएस योजना को निम्न स्तर की रेटिंग के साथ एनबीएफसी, एचएफसी तथा एमएफआई द्वारा जारी बॉण्ड्स/वाणिज्यिक पत्रों जैसे प्राथमिक उधारों को कवर करने हेतु विस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रथम 20% की हानि गारंटर यानी भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी। यह अपेक्षा की जाती है कि इस योजना के परिणामस्वरूप 45,000 करोड़ रु. की चलनिधि हो।

- **प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) :** सरकार ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई– शहरी) के अंतर्गत एक उप योजना शुरू की है। उप योजना का उद्देश्य निम्न द्वारा किफायती किराए पर जीवनयापन की सुविधा प्रदान करना है

  - ❖ पीपीपी मोड के तहत रियायत पाने वालों के माध्यम से शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित करना;
  - ❖ विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थानों, संघों को अपनी निजी भूमि पर एआरएचसी विकसित करने एवं उसे परिचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना; तथा

  - ❖ एआरएचसी को विकसित करने तथा उसे परिचालित करने के लिए तदनुसार राज्य सरकारी एजेंसियों/केंद्र सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना।

- **मध्य आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का विस्तार :** मध्य आय वर्ग (वार्षिक आयः 6–18 लाख रु.) के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना का परिचालन मई 2017 में किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, सरकार मार्च 2021 तक सीएलएसएस योजना का विस्तार करेगी। यह अपेक्षा की जाती है कि विस्तार का लाभ 2020–21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को होगा एवं आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश होगा। इसके अतिरिक्त, विस्तार से नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी तथा साथ ही इस्पात, सीमेंट, परिवहन एवं अन्य निर्माण सामग्री की मांग को बढ़ावा मिलेगा।

- **रेरा के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण एवं समापन तिथि का विस्तार :** कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव से प्रवासी मजदूरों को अपना कार्यस्थल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे परियोजनाएं रेरा की समयसीमा पर डिफॉल्ट होने के जोखिम में है। समस्या को दूर करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा उनके विनियामक अधिकारियों को निम्न प्रभाव से सुझाव देंगे:

  - ❖ कोविड–19 को रेरा के तहत 'अपरिहार्य घटना' के रूप में मानें।
  - ❖ पंजीकरण एवं समापन तिथि को अपनी ओर से बिना किसी वैयक्तिक आवेदनों के 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए 6 महीने तक बढ़ाएं। आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारी इसे 3 महीने तक की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।
  - ❖ संशोधित समयसीमा के साथ स्वचालित रूप से 'परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र 'जारी करें।
  - ❖ समानांतर रूप से रेरा के तहत विभिन्न सांविधिक अनुपालनों के लिए समयावधि का विस्तार करें।

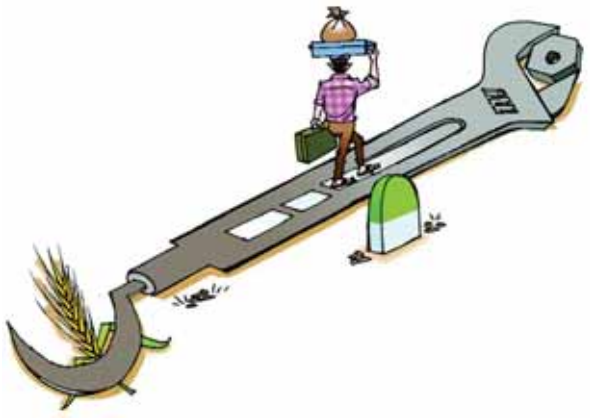

- **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहल :** भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति रेपो दर पर 10,000 करोड़ रु. की कुल राशि के लिए रा.आ.बैंक को एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक राहत के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि एक वर्ष का अतिरिक्त समय वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को एनबीएफसी द्वारा ऋणों हेतु वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) के लिए प्रारंभ करने की तिथि के विस्तार के लिए दिया गया है।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई पहल से आवास क्षेत्र की प्रवृत्ति को पुनर्जीवित करने के साथ–साथ 2022 तक सबके लिये आवास के उद्देश्य को पूरा करने के प्रयासों में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 के कारण समाज के सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित वर्गों में से एक, प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान करने की उम्मीद है।

जैम ट्रिनिटी, इसके लाभ एवं कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी प्रासंगिकता

– तोफान महालिक, सहायक प्रबंधक

जैम से तात्पर्य है जन धन–आधार–मोबाइल। जैम ट्रिनिटी भारत सरकार द्वारा अभिप्रेत लाभार्थियों को सीधे लाभ (सब्सिडी) अंतरित करने एवं मध्यवर्ती संस्थानों और लीकेज को हटाने हेतु जन–धन खाता, मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड को जोड़ने के

लिए एक पहल है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) गरीबों के लिये बैंक खाते खोलने में सहायता करती है, आधार हर भारतीय को एक बायोमेट्रिक–प्रमाणिकृत विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है जो पहचान प्रमाण के रूप में होता है, और मोबाइल फोन जो गुणवत्ता की जांच एवं गरीबों तक सेवाएं पहुंचाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 2014 में शुरू की गई थी जिसने समाज के कमजोर वर्गों को बचत बैंक खाता, प्रेषण सुविधाएं, बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में मदद की। पीएमजेडीवाई के लाभार्थियों को 1 लाख रूपये की दुर्घटना बीमा के साथ एक रूपे कार्ड भी प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1 बिलियन से अधिक आधार संख्या भारतीय जनसंख्या के 99% को कवर करने के लिए जारी की गई है और भारत में स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 2019 में 500 मिलियन को पार कर गई है। जैम ट्रिनिटी बड़े पैमाने पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों को नकद सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लागू करने हेतु सक्रिय रहा है।

भारत में 380 मिलियन से अधिक जन धन बैंक खाते हैं जिसका उपयोग 2018–19 में लगभग 590 मिलियन लोगों को सरकारी लाभ अंतरित करने हेतु किया गया है। 2014–15 से लगभग 7.23 ट्रिलियन रूपये सरकारी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में अंतरित की गयी।

(**स्रोतः** योजना, जुलाई 2020 संस्करण)

जैम ट्रिनिटी का उपयोग बड़े पैमाने पर अभिशासन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। जैम ट्रिनिटी ने न केवल भ्रष्टाचार को रोका है, बल्कि बटन के एक क्लिक से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि का हस्तांतरण भी किया है। बटन के क्लिक ने अनुमोदन के बहुविध स्तरों को बदल दिया है और लाभार्थियों के धन अंतरण में देरी को कम किया है।

जैम ट्रिनिटी चल रही कोविड–19 की स्थिति के दौरान सरकार की वित्तीय सहायता योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजेकेवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक वरदान है। मोबाइल से जुड़े आधार के साथ इसके मेल ने धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के बिना लाभार्थियों के बैंक खातों में धन के तीव्र अंतरण की सुविधा प्रदान की है।

निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है कि कैसे भारत सरकार जैम पाइपलाइन का लाभ उठा रही है और डिजिटल भुगतान अवसंरचना लाभार्थियों को सीधे लाभ अंतरित कर रही है:

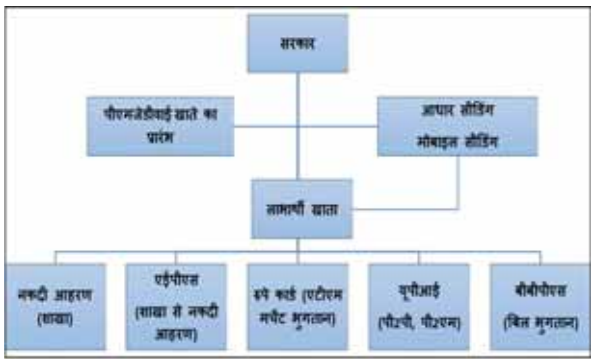

(**स्रोतः** योजना, जुलाई 2020 संस्करण)

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जैम ट्रिनिटी का महत्व एवं लाभ

1. जैम ट्रिनिटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को बढ़ावा दिया है। जन–धन ने सबके लिए बैंक खातों की सुविधा प्रदान की है और आधार ने लाभार्थियों के वैध डेटाबेस को सक्षम किया है। मोबाइल डीबीटी योजना के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। जैम ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 'पहल' के इनीशिएटिव के अंतर्गत जो संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है, सब्सिडी राशि प्रदान करने के बजाय प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी प्रणाली को फिर से तैयार करने में सक्षम बनाया है।

2. जैम ट्रिनिटी ने बिचौलियों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, अनियमितता और गलत कार्य आदि में कमी आई है। इसने साथ ही व्यवसाय करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया हैं।

3. जैम ने ग्रामीण आबादी को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, यह ग्रामीण ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम है। जैम ट्रिनिटी ने ग्रामीण ग्राहकों को बचत की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की है।

4. कोविड–19 वैश्विक महामारी में जहां शारीरिक दूरी एक मानदंड है, जैम ने एटीएम से पैसे निकालने में ग्राहकों की सहायता की है। इसके अतिरिक्त, जैम ने सरकार को लाभार्थियों के बैंक खातों में तेजी से धन अंतरित करने में सक्षम बनाया है। जैम कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान सरकार की वित्तीय सहायता के लाखों लाभार्थियों के लिए एक वरदान बन गया है।

5. जैम ट्रिनिटी ने लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

6. जैम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन में मदद की है। पीएमजेडीवाई ने ग्रामीण आबादी को बैंक खाता खोलने तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया है। इससे अभिशासन में पारदर्शिता आई है।

7. आधार नागरिक के लिए एक विशिष्ट पहचान स्थापित करता है, तथा मोबाइल नंबर के साथ इसे एकीकृत कर नागरिक के साथ संबंध स्थापित करके पहचान को प्रमाणित करता है। यह अभिसरण (आधार और मोबाइल सेवा) लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ सरकार की डिजिटल सेवा वितरण को सक्षम बनाता है। इस प्रकार, डीबीटी सामाजिक लाभ वर्ग में कार्य करता है जबकि प्रामाणिकता डिजिटल सरकारी सेवा वर्ग में कार्य करती है।

8. आधार एक विशिष्ट पहचानकर्ता होने के नाते, एक यूनिक आधार संख्या के साथ प्रत्येक लाभार्थी को जोड़कर डेटाबेस के डी–डुप्लीकेशन में सहायता करता है। विभिन्न डेटाबेस में आधार सीडिंग भी डेटाबेस को साफ करने में सहायता करता है और सरकार को डेटाबेस से अयोग्य लोगों को बाहर निकालने में सक्षम बनाता है।

9. एक मोबाइल नंबर नागरिकों को सब्सिडी, पीडीएस आदि जैसे उनके अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सरकार की मदद करता है। उदाहरण के लिये एक सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थी को एक संदेश भेजा जाता है, जिसके अंतर्गत, उसे विनिर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कनसाइनमेंट भेजने की सूचना दी जाती है। जब नागरिक एफपीएस पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए जाता है, तो एफपीएस कनसाइनमेंट प्राप्त करने से इनकार नहीं कर सकता है (जैसा कि पहले होता था, जब कनसाइनमेंट को अक्सर दुकान पर पहुंचने से पहले ही डायवर्ट किया जा सकता था)।

10. जैम ट्रिनिटी ने पात्र लाभार्थियों को सरकारी वित्तीय सहायता के अंतरण में समय एवं प्रयासों में कमी लाने में मदद की है। इसने बेहतर अधिशासन, भ्रष्टाचार में कमी आदि में सहायता की है।

निष्कर्ष

जैम ट्रिनिटी ने सरकार से नागरिकों को उनके हक दिलाने में सहायता की है। जैम ट्रिनिटी ने पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के समय पर अंतरण में सरकार की बेहतर अभिशासन में सहायता की है। इसने भारतीय समाज के वित्तीय समावेशन में भी सहायता की है। इसने ग्रामीण आबादी की बचत की आदत में सहायता की है जो बदले में देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है। जैम ट्रिनिटी एक समग्र और व्यापक योजना है जिसके परिणामस्वरूप सभी हितधारकों के लिए जीत की स्थिति बन गयी है।

आवास की मूल संकल्पना

– अमर सिंह सचान,
भूतपूर्व हिन्दी अधिकारी

आश्रय या मकान एक सार्वभौतिक बुनियादी जरूरत है जो रोटी और कपड़े के बाद तीसरी अनिवार्य आवश्यकता है। आज दुनिया भर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं मानव अधिकार संगठनों के द्वारा आवश्यक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जोरदार मांग उठाई जा रही है। इसमें आश्रय या घर की जरूरत को पहली श्रेणी में माना गया है और यह उतना ही जरूरी माना गया है जितना की पानी एवं खाद्य जरूरतों को। यह विचार सही भी है कि सभी को गरिमा के साथ जीने का अभिन्न अधिकार है। आज दुनियाभर के अधिकतर देश सेना एवं सुरक्षा के नाम पर अपने राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं जबकि उनके देश के बहुसंख्य नागरिक आवास एवं खाद्य जैसी भूत जरूरतों से वंचित है। सभी देशों की आबादी का एक बड़ा भाग आवास की कमी से जूझ रहा है। इसलिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि सभी देश एक साथ मिलकर आवास की जरूरतों को संबोधित करने के लिए कटिबद्ध होकर हल की तलाश करें।

यहां पर यह बात स्पष्ट एवं ध्रुव सत्य है कि आवास के क्षेत्र में एक ओर जहां व्यापक निवेश की आवश्यकता है, वहीं पर यह भी उतना ही सत्य है कि इससे आय एवं रोजगार के असीम अवसर पैदा होते हैं। आवास निर्माण के साथ–साथ सीमेंट, स्टील व ईंट निर्माण को गति मिलती है तथा स्वयं आवास निर्माण के क्षेत्र प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनते हैं। जिसके कारण ही अप्रत्यक्ष रूप से बेघर को घर मिलने पर अनेक कुटीर एवं गृह उद्योगों को पनपने का अवसर मिलता है एवं इनकी गुणत्ता में भी सुधार होता है। फलतः प्रतियोगिता पूर्ण बाजार में टिके रहने का आधार मिलता है।

भारत में भी आवास की गंभीर समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या आवास विहीन है और वे झुग्गी या झोपड़पट्टी जैसी गंदी बस्तियों में जीवन गुजारने के लिए मजबूर होते है। इन बस्तियों में एक पूरा संयुक्त परिवार एक झोपड़ी में जीवन गुजारता है। शहरों में इन झुग्गी बस्तियों की स्थिति बहुत ही अमानवीय है क्योंकि ये बस्तियां रेलवे ट्रेको, सड़कों या गंदे नाली अथवा नदी के किनारों पर बनाते हैं जहां न तो ठीक से सूरज की धूप पहुंचती है और न साफ हवा; बल्कि सारे साल सीलन, बदबू, सड़न एवं कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। यहां पर इन्हीं गंदी बस्तियों द्वारा खुली नालियों में बहता हुआ पानी जगह–जगह पर गड्ढों में भरा रहता है जहां मक्खी मच्छर पनपते हैं और सुअर, कुत्ते एवं भैसे

आदि लोटती रहती हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि यहां पर तपेदिक (टी.बी.), मलेरिया, खांसी एवं त्वचा रोग पनपते हैं और शहरों का अधिकतर श्रमिक वर्ग यहां पर अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर होता है।

देश की आबादी के बाद जहां रक्षा, भारी उद्योग, विद्युत परियोजनाओं आदि पर व्यापक रूप से नीति बना कर ध्यान दिया गया; वहीं आवास समस्या एवं आवास नीति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। देश की राष्ट्रीय आवास नीति 1988 के अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसके पूर्व भी शहरों में विकास प्राधिकरणों की स्थापना तो हुई, परन्तु उनमें गरीब एवं निम्न आयवर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया। अल्प सेवित एवं असेवित वर्ग के लिए कुछेक योजनाएं प्रारंभ की गई, परन्तु ये भी उनकी पहुंच से बाहर थी; फलतः इन योजनाओं का लाभ भी मध्य एवं निम्न मध्य वर्ग ने उठाया और जहां कहीं पर गरीब एवं निम्न आयवर्ग को सरकार के प्रयासों से कुछ आवास प्राप्त हुए वे बहुत जल्द ही पैसों के लालच एवं महंगाई व गरीबी की मार से बचने के लिए अपने आवासों को बेचकर पुनः झुग्गी बस्तियों की शरण में जा पहुंचे।

ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाके; यहां पर्याप्त आवास का तात्पर्य सिर्फ चार दीवारों एवं एक छत मात्र से नहीं है। यह चीजें कमोवेश तो हर झुग्गीवासी को प्रापत हो जाती है फिर चाहे वे कच्ची मिट्टी

की हो या खप्परैल की छते हो। एक घर या आवास का तात्पर्य है पानी, बिजली एवं सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं एवं स्वच्छ ईंधन आपूर्ति, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा एवं आजीविका के अवसर के

साथ–साथ परिवहन की सुविधाओं एवं सेवाओं का उपयोग। जहां पर सब के साथ एक सम्मानजनक जीवन के लिए एक उत्पादक संचालन का परिवेश भी उपलब्ध होना अनिवार्य है। आवास के आस–पास नीतिकारों एवं योजनाकारों तथा समाज के हित साधकों को संयुक्त प्रयास करके इन चीजों को जुटाना चाहिए, ताकि वहां के निवासियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही वहां पर उपलब्ध संसाधनों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जाए तथा समाज के कमजोर आर्थिक एवं गरीब वर्ग के लिए भागीदारों को भी सुनिश्चित बनाया जाए।

वहनीय आवास के अंतर्गत बनने वाले घर गरीबों की खरीद क्षमता के अनुसार विकसित किए जाने चाहिए, परन्तु ऐसा करते हुए उसकी गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यह सर्व विदित है कि गरीब एवं कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए वहनीय घर/आवास उपलब्ध कराना केवल कोरी संकल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह कार्य अद्वितीय चुनौतियों एवं संभावनाओं से भरपूर है।

हमारे देश का बहुतायत ग्रामीण क्षेत्र निम्न वित्त वर्ग या गरीब वर्ग में ही आता है। जिनके पास अपने घर के नाम पर कच्चा घर या घास फूस अथवा खपरैल के झोपड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की आय नियमित नहीं होती है और कृषि पर टिकी आजीविका भी मानसून की आमद पर निर्भर होती है। बदलते पर्यावरण के कारण वे अतिवृष्टि या अनावृष्टि के शिकार होकर कभी बाढ़ की मार झेलते हैं तो कभी सूखे की जिसका परिणाम यह होता है कि आवास के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। यदि इन इलाकों में कारखाने, उद्योग धंधे या गृह/कुटीर उद्योग का सहारा मिले तो वे कृषि के अलावा दूसरे विकल्पों से जीवन यापन कर सकते हैं। फलतः उनकी आय में वृद्धि होगी जो उनकी क्रय क्षमता को बढ़ा कर जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी और वे आवास बनाने के लिए ऋण लेने व उसे चुकाने में सक्षम बन पाएंगे।

भारत जैसे देश में सभी के लिए किफायती एवं गुणवत्ता पूर्ण आवास सुनिश्चित करने के लिए चहुंमुखी प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। इसमें एक ओर जहां बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को आगे आना होगा, वहीं दूसरी तरफ विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों को स्थापित कर उस क्षेत्र की आवश्यकता एवं वहां के स्थानीय उत्पादों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रयासों में भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों, गैर सरकारी संस्थानों, सहकारिताओं को ईमानदारी से प्रयास करते हुए आगे बढ़ना होगा तथा सरकारी क्षेत्र में आनेवाली बाधाओं को हटाकर जन–जन को इस आंदोलन से जोड़ना होगा।

आवास समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी, पंचायती राज प्रणाली की भागीदारी, सार्वजनिक संस्थाओं की भागीदारी को एक साथ विस्तारित करने की आवश्यकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसी तमाम जनसंख्या रहती है। जिनको जमीन का मालिकाना हक नहीं है, वे भूमि हीन है और निध्रन एवं सीमांत (हाशिए की) समाज व्यवस्था में पड़े है; फलतः वे सरकार/बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रारंभ की गई छूट या सहायता योजना का फायदा नहीं उठा पाते है। इसमें स्थानीय राज्य सरकारें और पंचायतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आवास के लिए भूमि के उपयोग एवं प्रबंधन की दिशा में तुरंत कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण सतर पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूल भूत सुविधाओं की कमी के साथ–साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर न उपलब्ध होने के कारण वहां के निवासी शहरों की ओर पलायन कर जाते है और अपने पीछे बच्चों, महिलाओं एवं वृद्ध वर्ग को छोड़ जाते हैं। यह एक तरह का अनुत्पादक वर्ग होता है जो मनी आर्डर की संस्कृति पर जीवनयापन करता है। पीछे छूट गए लोग अवसर आने पर कृषि कार्य उतने बढ़िया ढंग से नहीं कर पाते, जितना कि किया जाना चाहिए। सीमित आय होती है और आय उत्पादन के दूसरे साधन नहीं होते; फलतः आवास की मरम्मत व रखरखाव भी मुश्किल से कर पाते हैं और पक्का मकान या उत्पादकता पूर्ण मकान बनाना दूर की बात होती है। यदि आवास के लिए पर्याप्त जमीन का टुकड़ा हो जिसमें स्वयं के परिवार के साथ पशु पालने एवं घरेलू बगीचा लगाने की पर्याप्त

जगह हो तो हरी सब्जियों की आपूर्ति कायम रह सकती है और उन्हें पैसे बचत करने में मदद मिल सकती है।

यदि उत्पादक आवास की संकल्पना को साकार रूप मिले तो ग्रामीण पलायन रुकने के साथ–साथ स्थानीय कौशल या हुनर के उपयोग के अवसर निकलेंगे। वे लोग अपने उत्पादों को आसानी से बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अंतर्गत साधारण से दूध उत्पादन से लेकर डेयरी के अन्य उत्पाद, सब्जी उत्पादन, टोकरी, चटाई आदि घरेलू उद्योग, दरी उद्योग एवं कपास एवं सूत (खादी) बुनने के उद्योग पनप सकते है। इससे ग्रामीण की आय बढ़ेगी और उनका पलायन रुकेगा। यदि ग्रामीणों का शहरों की और पलायन रुकेगा तो शहरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं तेजी से बढ़ रही झोपड़पट्टी या झुग्गी बस्तियों की वृद्धि में रोक लगेगी और शहरों में झुग्गी बस्तियों में रहने वालों अर्थात गरीब एवं निम्न आयवर्ग की आवास की समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत आवास निर्माण सीधे–सीधे पर्यावरण के क्षरण से जुड़े है। कच्ची मिट्टी के मकानों में छतों के लिए बड़े–बड़े पेड़ों की कटाई कर लट्ठे लगाने पड़ते है फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है और पर्यावरण की क्षति होती है। ग्रामीणों की इस समस्या को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। आवास के साथ–साथ प्राकृतिक वास के विकास के लिए भी काम करना होगा जिसके लिए कौशल पूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता एवं ग्रामीण समाज की जागरूकता जरूरी है।

आवास की बात करने पर यह बातें सामने उभर कर आती है कि समाज के समग्र विकास के द्वारा ही मूल समस्याओं एवं जरूरतों से निपटा जा सकता है। किसी क्षेत्र के विकास हेतु रोटी, कपड़ा और मकान जितना जरूरी है आज उतनी ही जरूरी है बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा एवं शिक्षा। यदि हम आवास की बात करते हैं तो आज आवास के लिए उपयुक्त डिजायनों की आवश्यकता है जो वहां के निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक जरूरत के साथ–साथ भू–भौतिकी, जलवायु, पर्यावरण संसाधनों एवं आजीविका से भी जुड़ी हों। इन सबके साथ आपदा संरक्षी टिकाऊपन एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त, स्थायी, सस्ता एवं बुनियादी सुविधाओं से लैस हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इसमें समुदाय, समाज, पंचायतें, स्थानीय एवं राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार आदि एक साथ मिलकर काम करें। ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है एक सुदृढ़ इच्छाशक्ति की।

बहुत जी लिया

श्री सुभाष
(क्षेत्रीय प्रबंधक)

आसमान से आगे,
जहां में,
बसने की आरजू है।
बहुत जी लिया,
इस जमी पे,
अब उड़ान भरने की,
आरजू है।
बादलो में घर हो,
अपना,
हवाओ संग, जो बहता हो।
पक्षियों का हो, यहां बसेरा,
और
रात जुगनुओ की, झिलमिलाहट हो।
मखमली बादलो की,
बिस्तर हो और,
तकिये पे, परियो के सपने हो।
प्यास अगर हो तो,
मैं बादलों से ,पानी मांग लू।
भूख हो तो,
सुनहरे पेड़ से, फल मांग लू।
हो अकेलापन,
गर कभी,
उस खुदा का घर,
पास ही है,
इक आवाज दे, मैं बुला लूं।
आसमान से आगे जहां में ,
बसने की आरजू है।
बहुत जी लिया, इस जमी पे ,
अब उड़ान भरने की, आरजू है

किफायती आवास कैसे खरीदें

– शिखर बीर, सहायक प्रबंधक

तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप देश में शहरीकरण की गति में भी उत्साहजनक वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरों में आवास की मांग में भी बढ़ोत्तरी देखी जा

सकती है। आवास की मांग में अचानक से आयी तीव्रता की वजह से विभिन्न सरकारी आवास निर्माण एजेंसियों को लोगों की आवास जरुरतों को पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी एजेंसियों द्वारा आशाजनक प्रदर्शन न कर पाने के कारण निजी कंपनियों में बाजार पर एकतरफा आधिपत्य जमाने की होड़ सी मची हुई है। चूंकि देश की अधिकांश जनसंख्या की जरुरत किफायती आवास की है अतः इस क्षेत्र में आवास की कमी देखने को मिलती है। निजी डेवल्परों द्वारा संसाधनों के संग्रहण में अत्याधिक निवेश करने के कारण उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जन होता है अतः किफायती आवास के निर्माण में उनकी रूचि दिखाई नहीं पड़ती है। यदि किसी डेवल्पर द्वारा इस क्षेत्र में आवास निर्माण के प्रति सकारात्मक पहल की भी जाती है तो शहरों में जमीन के बढ़ते दामों की वजह से ऐसे डेवल्पर किफायती आवास के निर्माण में आने के लिये हतोत्साहित हो जाते हैं। यही वजह है कि किफायती आवासीय परियोजनाएं आमतौर पर उपनगरों तथा महानगरों के बाहरी इलाकों में ही बन रही हैं जहां अपेक्षाकृत सस्ते दाम में जमीन उपलब्ध होती है जिससे किफायती आवास निर्माण से डेवल्पर भी मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि, ऐसी लोकेशनों पर उपयुक्त आवास खरीदना एक जटिल काम है। इसी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार से हैं:

सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो

यह अत्यंत आवश्यक है कि आप जहां आवास खरीदना चाहते हैं, उसकी लोकेशन और महानगरों के भीतरी या कारोबारी इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन के साधनों की उपलब्धता हो। ये साधन मैट्रो, रेल, बसें आदि कुछ भी हो सकते हें। चूंकि परिवहन के ये साधन कम खर्चीले होते हैं, रोजाना आवाजाही पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। पहली बार घर खरीद रहे लोग जिनका सीमित बजट हो, के लिए बाद में होने वाले खर्चों में कमी भी महत्वपूर्ण होती है।

सुरक्षा के उचित प्रबंध हो

अनेक किफायती आवासीय परियोजनाएं उपनगरों के सुदूरवर्ती स्थानों पर बनाई जाती है। इन स्थानों पर स्थानीय गांववासियों का प्रभुत्व होता है और वहां विकास भी अव्यवस्थित होता है। कई किफायती आवासीय परियोजनाएं झुग्गी बस्तियों, फैक्टरियों तथा अन्य किफायती आवासीय परियोजनाओं के निकट बनाई जाती है। ऐसे स्थानों पर रहने पर कई सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

ऐसे में महत्वपूर्ण है जहां भी आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, उस इलाके में सड़कों पर लाइटों की व्यस्वस्था हो, आबादी हो, पुलिस थाना आदि सुरक्षा के जरुरी घटक मौजूद हो। घर हमेशा ऐसी आवासीय परियोजना में हो जहां रहना पूर्णतः सुरक्षित हो।

चारदीवारी तथा चौकीदारों की निगरानी वाली आवासीय परियोजनाओं में घर खरीदना ही उपयुक्त होगा।

सामाजिक संरचना मौजूद हो

आमतौर पर किफायती आवासीय परियोजनाएं शहरों तथा अन्य प्रमुख व विकसित स्थानों से दूर होती हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार आदि उस स्थान से करीब हों जहां आपने घर खरीदने का फैसला किया है। अन्यथा इन सुविधाओं का प्रयोग करने या वहां आने–जाने में ही काफी समय तथा पैसा खर्च होता रहेगा।

मूलभूत विकास योजनाएं

कई बार उपनगरों एवं शहरों के बाहरी इलाकों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मूलभूत संरचनाओं के विकास का वायदा किया जाता है परंतु बाद में इन प्रस्तावित योजनाओं पर काम बहुत धीमी गति से चलता है। इसकी एक वजह है कि जरूरी नहीं किसी नए इलाके को शुरू–शुरू में मिली ख्याति तथा लोकप्रियता बाद में भी कायम रहे। अन्य कारण हो सकता है कि सरकार बाद में अन्य स्थानों में विकास को प्राथमिकता देने लगती है। पहली बार घर खरीद रहे लोगों को इलाके में प्रस्तावित मूलभूत संरचनाओं के विकास की विश्वसनीयता की पड़ताल भली प्रकार कर लेनी चाहिए।

डेवल्परों की सघन जांच

आवास ग्राहकों को डेवल्पर की बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और बेहतर होगा कि किसी भी प्रस्तावित योजना की गम्भीरता का आकलन अपने स्तर किया जाए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के विकास पर ही जहां इलाके में विभिन्न सुविधाएं निर्भर करती हैं वहीं आपके निवेश का मूल्य बढ़ना भी इसी पर आधारित होता है।

किसी भी लोकेशन पर परिवहन के सार्वजनिक साधनों की पहुंच, सुरक्षा, मूलभूत संरचनाओं के विकास का आकलन करने तथा इनके आधार पर कुछ उपयुक्त किफायती आवासीय परियोजनाओं की सूची तैयार करने के बाद खरीदारों को चाहिए कि वे प्रत्येक परियोजना के डेवल्पर के पिछले कामकाज पर गौर करें। पता करें कि क्या वे समय पर अपनी परियोजनाएं पूरी करते हैं, उनके पिछले ग्राहकों को उनसे किसी तरह की शिकायतें तो नहीं हैं।

कई बार छोटे–मोटे स्थानीय डेवल्पर किफायती आवासीय परियोजनाएं शुरू कर लेते हैं जो बाद में ठप्प पड़ जाती हैं या परियोजना लांच करके रातों–रात बुकिंग का पैसा जमा करके गायब होने वाले ठगों की भी कमी नहीं है। ऐसे में मेहनत से कमाई जमा–पूंजी से हाथ धोने के बाद पछताने से बेहतर होगा कि डेवल्पर के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर ली जाए।

मासिक खर्चों के विषय में जानकारी लें

मेंटेनेंस शुल्क, बिजली के बिल आदि विभिन्न मासिक खर्चों के संबंध में अच्छी तरह पड़ताल कर लें। आवास खरीदने वाले अधिकतर ग्राहकों का एक निश्चित बजट होता है। जरूरी है कि वे मकान के शुरूआती मूल्य के साथ–साथ खरीदने के बाद होने वाले खर्चों का

आकलन करके ही किसी भी किफायती आवासीय परियोजना में घर की खरीदारी का अंतिम फैसला लें।

उक्त सुझावों पर उचित कार्रवाई कर या उनके विषय में जरूरी जानकारी हासिल कर भविष्य में होने वाली किसी भी हानि को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा रेरा अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद से डेवल्परों द्वारा आम नागरिकों को किये जाने वाले झूठे वायदों एवं धोखाधड़ी में पूर्व की अपेक्षा कमी देखने को मिलती है।

आवास के लिए लोकेशन का चुनाव

– शोभित त्रिपाठी, राजभाषा अधिकारी

घर का खरीददार हर व्यक्ति यही चाहता है कि कम पैसों में उनके सपनों का घर मिले। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि आपको कम दाम में उचित घर तो मिल जाता है पर घर की लोकेशन ऐसे स्थान पर होती है जहां रह पाना एवं मूलभूत सामाजिक सेवाओं को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

आवास के लिए उचित लोकेशन का चयन ग्राहकों पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में विभिन्न डेवल्पर ग्राहक से अपनी परियोजना के संबंध में अनेक आकर्षक जैसे प्रस्तावित मेट्रो परियोजना, एअरपोर्ट या कोई प्रस्तावित अस्पताल या विश्वविद्यालय वायदें करते हैं जिससे कि ग्राहक द्वारा लेने वाले आवास के दाम में इजाफा होगा।

स्थान

ग्राहक उसके द्वारा चयनित निवास स्थान जहां उसका घर अवस्थित है उससे काफी हद तक प्रभावित होता है। अपनी जरूरत तथा इच्छा के अनुरूप अपने कार्यस्थल या बच्चों के स्कूल या बुजुर्गों की देखभाल के लिए अस्पताल के पास या उपनगरीय क्षेत्रों में या हवाई अड्डे के पास या किसी कमर्शियल सेंटर के पास स्थित कोई इलाका आप चुन सकते हैं।

घर के लिए लोकेशन का निर्धारण करते समय अपनी जरूरतों के अनुसार सूची बना लेनी चाहिए एवं यह स्पष्ट होना चाहिए कि घर

का उपयोग आपके खुद के रहने के लिए किया जाएगा अथवा निवेश के उद्देश्य हेतु खरीदा जा रहा है। यदि निवेश के मकसद से सम्पत्ति खरीद रहे हैं तो अच्छे लाभ के लिए उसकी लोकेशन का कुछ मापदंडों को पूरा करना जरूरी है। बुनियादी जरूरत के रूप में इलाके में अच्छा सामाजिक माहौल, सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त

उपलब्धता और विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए।

यदि आपका बजट कम है तो आप ऐसा स्थान चुन सकते हैं जो आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त हो। यह आपके कार्यस्थल के पास होना चाहिए ताकि सफर में कम समय व्यतीत हो और आपको परिवार के साथ बिताने के लिए अधिक समय मिले। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बच्चों के लिए पास में ही स्कूल हों।

भविष्य की सम्भावनाएं

यदि आप किसी अल्पविकसित या विकासशील स्थान पर निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो इस बात पर अवश्य ध्यान दें ऐसे स्थान सरकार की विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं में शामिल हों। इलाके में कीमत वृद्धि के रुझान को देखें और भविष्य की सम्भावनाओं पर किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं।

जहां आप निवेश करें वह एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहां विकास होने की उम्मीद हो। आप किसी ऐसे स्थान पर निवेश नहीं कर सकते जहां आपको लगे कि भविष्य में विकास नहीं होगा। इसी तरह, अचल सम्पत्ति के मामले में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले वक्त में वहां लगातार विकास जारी रहे।

फिर भी यदि आप किसी नए और विकसित हो रहे इलाके में रहने का चयन करते हैं तो वह अवश्य सुनिश्चित करें कि वह शहर के

मास्टर प्लान का हिस्सा हो और अगले 5 वर्षों में इसके विकास करने की सम्भावना हो।

सार्वजनिक परिवहन की सुविधा

कोई इलाका शहर के मुख्य हिस्सों या बस अड्डे, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कैसे जुड़ा है और वहां सार्वजनिक परिवहन के साधन कितने उपलब्ध हैं जैसी बातें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।

यह मायने नहीं रखता है कि कोई आवासीय परियोजना 'सामान्य' है अथवा 'वैभवशाली' वह घर नहीं है यदि आप वहां तक आसानी से पहुंच ही न सकें या आसानी से वहां से बाहर कहीं न जा सकें।

निवेशकों को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इलाके में अच्छी सड़कों का पूरा जाल होना चाहिए ताकि वहां सुविधाजनक

ढंग से आना–जाना सम्भव हो। अच्छी बात है कि आजकल अधिकतर भारतीय शहरों में बुनियादी ढांचों में सुधार पर जोर है। नई मेट्रो लाइनें बिछाई जा रही हैं और अन्य शहरों से बेहतर सम्पर्क के लिए राजमार्गों को चौड़ा किया जा रहा है।

सुरक्षा

इस बात की पड़ताल करें कि इलाका कितनी अच्छी तरह से प्रशासित है और वहां जीवन का स्तर कितना ऊंचा है। केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने हेतु चयनित किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों को सुविधा संपन्न आवासों, भीड़भाड़ रहित, निवासियों के लिए आसानी से सुलभ सुविधाओं और उच्च अवसंरचना वाले शहरों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। घर खरीदने से पहले उस स्थान के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे स्थान पर सुरक्षित माहौल हो तथा कानून व्यवस्था उच्च स्तरीय हो। घर के

निकट पुलिस स्टेशन हो तथा सड़कें रोशन हों साथ ही बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। किसी भी स्थान पर घर खरीदने से पहले इलाके में सुरक्षा की स्थिति तथा कानून–व्यवस्था के स्तर के बारे में सुनिश्चित होना बहुत महत्वपूर्ण है। पक्का कर लें कि निकट ही एक पुलिस स्टेशन हो, रात के वक्त सड़कें अच्छी तरह से रोशन रहती हों और वह इलाका बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो।

भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका

– धीरज कुमार, प्रबंधक

विज्ञान ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है एवं देश में और साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों में की गई वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों ने देश के विकास में मदद की है। विज्ञान चीजों को देखने का एक नया तरीका प्रदान करता है और उपलब्ध वस्तुओं के दायरे को बढ़ाता है और इस प्रकार किसी भी देश के विकास और प्रगति में सहायता करता है। मनुष्य का विकास कई शताब्दियों पूर्व हुआ एवं उन्होंने अपनी जीवनशैली को विकसित किया है और यह सब वैज्ञानिक आविष्कारों की मदद से संभव है। आग की खोज से लेकर पहिए, बैलगाड़ी और पत्थर के औजारों के आविष्कार के साथ शुरू हुआ। मनुष्य विज्ञान की मदद से नई चीजों का आविष्कार एवं अपनी जीवनशैली में अभूतपूर्व परिवर्तन के परिचायक बने हैं। भारत को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने में विज्ञान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश के लगभग सभी क्षेत्रों के विकास में मदद की है। इन आविष्कारों की मदद से आज लोग विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हो गए हैं – चाहे वह छोटे घर के कार्य हों या बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स हों, दुनिया भर के अन्य देशों की तरह विज्ञान ने भी मेक इन इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन के हमारे कई मानकों को बढ़ाया है और कई कार्यों को सुलझाया है जिन्हें पूर्ण करने में हमें काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी। जनमानस में वैज्ञानिक अनुप्रयोग के महत्व के संदेश को व्यापक तौर पर प्रसारित करने के लिए हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन के द्वारा मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में घटित होने वाली प्रमुख गतिविधियां, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है।

अर्थव्यवस्था निर्माण एवं आधारिक संरचना के अभ्युदय में

किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च वैज्ञानिक तकनीकों के कार्यान्वयन के कारण पिछले कुछ दशकों से भारत के बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई है। परिवहन की प्रक्रिया को कम करने के लिए कई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। विज्ञान में वृद्धि के साथ कई नए व्यवसायों का गठन हुआ है। कई उद्योगों में नए युग के वैज्ञानिक उपकरणों और मशीनरी के कारण तेजी देखी गई है एवं देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों के क्षेत्र में उनके शोध से न केवल देश को फायदा पहुंचा बल्कि सम्पूर्ण विश्व ने विज्ञान की प्रगति का लाभ उठाया एवं अपने आविष्कारों से हमें गौरवशाली महसूस कराया है। भारत अपने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जाना जाता है, इनमें से कई ने पिछले कुछ समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान दिया है।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि

नए वैज्ञानिक सूत्रों और तकनीकों ने भारत में कृषि और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाया है। बेहतर उत्पादन ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं के निर्यात को जन्म दिया है। इसी प्रकार उन्नत उपकरणों के उपयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में मदद मिलती है जिन्हें अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। देश में अधिक से अधिक उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। कई कुशल पेशेवरों को इन व्यवसायों में विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिलता है। कई लोगों को नौकरी के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे व्यवसायों के विकास में सहायता करते हैं जो बदले में देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करता है।

कृषि क्षेत्र में योगदान

वैज्ञानिक खोजों से लाभान्वित होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र भी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। शताब्दियों से हमारे देश के किसानों ने दिन और रात कड़ी मेहनत की है लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि विज्ञान में प्रगति के साथ पिछले कुछ दशकों में इस स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में कृषि क्षेत्र ने फसलों को बढ़ने और बढ़ाने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों के साथ एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। देश में निर्यात बाजार को मजबूत करने में विज्ञान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक रूप से उन्नत तकनीकों और

मशीनरी के कार्यान्वयन के कारण विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। ऐसे कई कृषि और औद्योगिक उत्पाद हैं जिनका हमारे देश द्वारा अब

प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है एवं यहां रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा इन्हें अन्य देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। संचार और परिवहन के साधनों में वृद्धि के साथ आयात और निर्यात की प्रक्रिया को सुचारू रूप दिया गया है जिससे देश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया गया है।

मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उन्नत उर्वरक, कीटनाशक बोने और फसल को काटने के लिए नए उपकरण, विज्ञान की नई प्रगति के घोतक हैं एवं इस तकनीकी ने भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में काफी सहायता प्रदान किया है। इस नई तकनीक के उपयोग के द्वारा फसल उत्पादन में काफी बढ़ोतरी की गई है एवं नई तकनीक के उपयोग द्वारा कटाई का समय भी कम हो गया है एवं इस प्रक्रिया में काफी कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। देश में कृषि वैज्ञानिक तरीकों की शुरूआत के बाद से विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई है।

संचार माध्यम में प्रगति

विज्ञान ने संचार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग किए बिना हम अपने देश को उतना विकसित नहीं कर सकते थे जितना आज हमने वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके किया है। संचार माध्यम की प्रगति के कारण आज मोबाइल फोन, इंटरनेट और संचार के अन्य लागत प्रभावी माध्यमों के आविष्कार के साथ दूर–दूर के देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करना काफी आसान हो गया है। इससे दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने हेतु, उच्च वैज्ञानिक तकनीकों को प्राथमिकता प्रदान किया गया है। अन्य देशों की तरह, भारत में भी संचार क्रांति ने 3जी/4जी एवं नई सदी की सर्वश्रेष्ठ तकनीक 5जी को कार्यान्वित किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, एवं आम जनता को संचार क्रांति द्वारा काफी लाभ की प्राप्ति हुई है। संचार के माध्यम से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में नवीनतम तकनीकों के साथ अपडेट हो गए हैं और लगातार उन प्रथाओं को अपना रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती है।

चिकित्सा विज्ञान में आविष्कार

चिकित्सा विज्ञान में नित्य नए आविष्कार ने पूरे विश्व में एक नई क्रांति को जन्म दिया है और विश्व के पटल पर एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया को मार्गदर्शित किया है। एक समय था जब मलेरिया, प्लेग जैसी महामारी बीमारियां फैल गई और इस कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई जिससे उनके परिवार के सदस्यों को गहरा सदमा लगा। इन घातक बीमारियों के कारण हमने लाखों लोगों को काल का ग्रास बनते देखा है। हालांकि आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है एवं विभिन्न रोगों का इलाज करने के लिए कई दवाईयों का आविष्कार किया गया है। सम्पूर्ण विश्व में वैज्ञानिक विभिन्न पुरानी और घातक बीमारियों के इलाज के लिए नए उपचार और दवाओं की खोज और शोध में व्यस्त हैं और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए देश के कई हिस्सों में कई अस्पतालों और नर्सिंग होम की स्थापना की गई है। इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचों और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है एवं विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक प्रशिक्षत टीम है। देश में पहले से ही स्थापित चिकित्सा संस्थान और कॉलेज चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए इन संस्थानों ने प्रत्येक साल कई छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उन्हें देश में चिकित्सा विज्ञान को आधुनिक एवं मानव कल्याण के हित में अपना सम्पूर्ण योगदान प्रदान कर सके।

निष्कर्ष

विज्ञान ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है एवं वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग किए बिना हम अपने देश को उतना विकसित नहीं कर सकते थे जितना हमने आज किया है।

वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश को अतीत में आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद की है और विशेषकर कृषि के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश को आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया है एवं वैज्ञानिक प्रगति को सुचारू किया जा रहा है।

प्रारंभिक भारतीय

– आर के अरविंद, सहायक महाप्रबंधक

मुझे हमेशा इस बात की प्रसन्नता होती है कि हमारा देश विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। इतनी विभिन्नताओं के बावजूद अभी भी हम भारतीय एकजुट हैं। प्रश्न यह है कि खाने की आदतों, जीवनशैली आदि में इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एकजुट हैं और यह मुझमें उत्सुकता पैदा करता है। एक तमिल होने पर, जिसकी परवरिश दिल्ली में हुई है, मुझे हमेशा इस बात के लिए सराहना मिली है कि मैं दक्षिण भारतीय उच्चारण के बिना हिंदी बोलता हूं। हिंदी का अच्छा ज्ञान होने से मुझे पढ़ाई और काम के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रवास में मदद मिली है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि राजनीति, क्रिकेट और बॉलीवुड हमें एकजुट करते हैं क्योंकि इन विषयों पर समाचार चैनलों या सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ न कुछ चर्चा होती ही रहती है।

कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि एक और कारण है जो हम सबको एकजुट करता है: जीन। मुझे टोनी जोसेफ द्वारा प्रारंभिक भारतीय नामक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ: जिसने मुझे पूरी तरह से अपने निष्कर्षों से रोमांचित किया। टोनी जोसेफ बिजनेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक हैं और उन्होंने भारत के प्रागितिहास पर कई प्रभावशाली लेख लिखे हैं। यह पुस्तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने के लिए हाल के वर्षों के डीएनए पाथ–ब्रेकिंग पर बहुत निर्भर करती है जैसे: हमारे पूर्वज कौन थे? वे कहाँ से आए हैं? हड़प्पावासी कौन थे? क्या आर्य लोग भारत में प्रवासी थे? क्या उत्तर भारतीय आनुवांशिक रूप से दक्षिण भारतीयों से अलग हैं? क्या अनुसूचित जनजातियाँ आनुवंशिक रूप से बाकी बची जनसंख्या से भिन्न हैं? पुस्तक एक जादू के पिटारे की तरह है जो आप में हर अध्याय के बाद और अधिक रोमांच पैदा करती है। मैं पुस्तक के प्रत्येक अध्याय से कुछ जानकारियों को उजागर करना चाहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको बहुत दिलचस्प लगेगी।

प्रथम भारतीय

- डीएनए साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि अफ्रीका मूल के आधुनिक मानव, अफ्रीका मूल के प्रवासियों की एकल आबादी के सभी वंशज हैं, जो कुछ समय बाद 70,000 साल पहले एशिया में गए और फिर दुनिया भर में फैल गए। हाल ही की सभी खोजों ने सभी आधुनिक मनुष्यों की अफ्रीकी मूल की पुष्टि की है।
- भारत में बसने वाला प्रथम आधुनिक मानव लगभग 65,000 साल पहले आया था।
- माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ तेईस क्रोमोसोम एक व्यक्ति के जीनोम को शामिल करते हैं। 70 से 90 प्रतिशत भारतीय महिलाओं के मामले में, यदि आप उम्र के माध्यम से अपने मातृ–पक्ष के संबंध में खोज करते हैं तो आप एक महिला को जानोगे, जो अफ्रीकी मूल की प्रवासी थी और लगभग 65,000 साल पहले भारत आई थी।
- सभी भारतीय पुरुषों के 10 से 40 प्रतिशत के मामले में, यदि आप उम्र के माध्यम से अपने पिता–पक्ष के संबंध में खोज करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति को जानेगें जो एक अफ्रीकी मूल का प्रवासी था।
- वैज्ञानिक अध्ययनों ने बार–बार सिद्ध किया है कि देश के लगभग सभी क्षेत्रों, सभी भाषाई समूहों और सभी जातियों और जनजातियों में प्रथम भारतीयों की अनुवांशिक छाप है।

प्रथम किसान

- प्राचीन डीएनए पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया है कि जाग्रोस क्षेत्र के आसपास के ईरानी कृषक आबादी ने कम से कम 4,700 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नगर की आबादी की वंशावली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस का मतलब है कि भारत में ईरानी कृषकों का प्रवास था और हड़प्पावासियों ने महत्वपूर्ण ईरानी कृषक वंश को शरण दी थी।
- आज के भारतीय नागरिक पहले भारतीयों और आबादी का मिश्रण हैं जो वर्तमान पश्चिम यूरेशियाई लोगों के साथ निकटता से संबंधित हैं।

प्रथम शहरी: हड़प्पावासी

- यदि आप हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जानना चाहते हैं तो आपको भारत में गुजरात के कच्छ के महान रण में धौलावीरा, में जाने की आवश्यकता है।

- पुरातत्वविदों ने धौलावीरा को उत्कृष्ट नगर नियोजन और गणितीय सटीकता के साथ निर्मित शहर के रूप में वर्णित किया है। पूरे स्थल का मानचित्र बनाया गया और वर्गों और त्रिकोणों में विभाजित किया गया एवं प्रत्येक छोटे या बड़े विभाजन का एक निश्चित अनुपात था।
- हड़प्पा लिपि की व्याख्या करने के अधिकांश प्रयासों ने मान लिया है कि यह अंतर्निहित भाषा द्रविड़ियन थी।
- सूखे की लंबी अवधि ने मानसूनी नदियों को सुखा दिया या यह मौसमी हो गई जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जब लंबे सूखे के कारण सभ्यता पतन की ओर जा रही थी तो हड़प्पावासी पूर्व और दक्षिण दोनों में फैल गए, नई उपजाऊ भूमि की तलाश करने लगे तथा अपनी भाषा, संस्कृति और कुछ प्रथाओं को अपने साथ ले गए।

अंतिम प्रवासीः आर्य

- आर्य लोग एक देहाती जीवन शैली के साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय में आए थे, जो नई धार्मिक प्रथाओं जैसे कि बड़े यज्ञ–संबंधी अनुष्ठान, एक योद्धा परंपरा और घुड़सवार एवं धातु विज्ञान में महारत रखते थे। परिणाम जनसंख्या का मिश्रण और एक नई शक्ति अभिजात वर्ग का गठन था जो अंततः उत्तरी भारत में इंडो–यूरोपियन के लिए एक भाषा परिवर्तन हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी था।
- हड़प्पा वासियों ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पैतृक दक्षिण भारतीयों के गठन में योगदान दिया तथा प्रायद्वीपीय भारत के प्रथम भारतीय के साथ और आने वाले आर्यों के साथ मिलकर पैतृक उत्तर भारतीयों के गठन में योगदान दिया।
- ऋग्वेद के मुख्य देवी–देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और अश्विनों को हड़प्पा कल्पना के विशाल प्रतिरूप में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और यह भी सच है कि ऋग्वेद प्रमुख प्रतीकों और हड़प्पा संस्कृति की कल्पना की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं करता है जैसे कि सर्वव्यापी मुहरें जो एक सिंग वाले जानवर को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहला वेद हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। यह इस सोच को गलत ठहराता है कि आर्य स्वदेशी हैं और उन्होंने वेदों की रचना की।

पुस्तक हमें आज के भारत की जनसंख्या संरचना को पिज्जा के रूप में समझाती है, जिसमें आधार या नींव 65,000 साल पहले रखी गई है जब मूल अफ्रीका के प्रवासी भारत पहुंचे थे। सॉस तब बनना शुरू हुआ जब 7,000 ईसा पूर्व में जाग्रोसियन के चरवाहे बलूचिस्तान पहुंचे और उन्होंने प्रथम भारतीय के साथ मिलकर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। जब सभ्यता अलग हो गई, तो सॉस पूरे उपमहाद्वीप में फैल गयी। फिर 2,000 ईसा पूर्व के बाद आर्य आए, और चीज को सभी पिज्जा पर डाला गया था, लेकिन दक्षिण की तुलना में उत्तर में बहुत कम था। लगभग एक ही समय में प्रमुख टॉपिंग आए जो आज हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मात्राओं में देखते हैं जैसे कि ऑस्ट्रोआसिटिक और टिबेटो–बर्मन भाषा बोलने वाले। उसके बाद हमारे पास यूनानी, मुगल, ब्रिटिश और कई और लोग हैं जिन्होंने भारतीय पिज्जा पर छोटे निशान छोड़े हैं।

पुस्तक में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प जानकारी मिली, वह थी उत्तर भारतीयों और पश्चिमी भारतीयों के दूध और दूध से बने उत्पादों और पूर्व या दक्षिण भारतीयों की तुलना में बहुत कम मांस और मछली का सेवन करने का कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण है जिसे 13910T कहा जाता है, जो लगभग 7,500 साल पहले यूरोप में उत्पन्न हुआ था। लैक्टेज दृढ़ता अर्थातः प्रारंभिक अवस्था के बाद दूध को पाचन की क्षमता के संबंध में सवालों के जवाब, देने के लिए भारत के सभी प्रमुख भाषा समूहों और क्षेत्रों के डीएनए नमूनों की एक विस्तृत जांच से पता चला है कि पश्चिमी और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में जीन की आवृत्ति 40 प्रतिशत से अधिक है और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में 1 प्रतिशत से भी कम है। जो यह स्पष्ट करता है कि क्यों पूर्व या दक्षिण भारतीय उत्तर या पश्चिम भारतीयों की तुलना में बहुत कम दूध पीते हैं और दूध प्रोटीन के विकल्प के रूप में पशु प्रोटीन के स्रोत के रूप में मांस या मछली अधिक लेते हैं।

हमने खुद को विभिन्न जातियों, जनजातियों, धर्मों में क्यों विभाजित किया है जबकि हम सब एक ही के वंश के हैं? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हम पहले इंसान हैं और जाति, धर्म, परंपरा, सांस्कृतिक विभिन्नताएं जिसका हम अनुसरण करते हैं, केवल हमारी सुविधा के लिए प्रसारित की गई है ताकि सजातीय समूहों की स्थापना हो सकें। हमारे पूर्वज एक ही हैं इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि हम उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम भारतीय हैं या नहीं। हम एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति के बारे में क्यों बात करते हैं? हमारे डीएनए से पता चलता है कि हमारे जो भी मतभेद हैं, वह पहले से ही हम सभी में हमारे जीन में ही हैं। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पुस्तक का निष्कर्ष इस बात की ओर इशारा करता है कि "हमारी एक बहु–स्रोत सभ्यता है और हम सभी प्रवासी हैं"!

कोविड -19 का प्रभाव

– टोटा वेंकटेश, क्षेत्रीय प्रबंधक

महामारी जो चीन के वुहान में उत्पन्न हुई थी और 2 महीने के भीतर पूरी दुनिया में फैल गई थी जिसने पिछले एक महीने से हम सभी को अपने घरों में बंद कर दिया है। सभी आर्थिक गतिविधियां अभी भी स्थिर है। 1919 में स्पैनिश फ्लू की महामारी इतनी गंभीर थी जहां विश्व अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। 100 वर्षों के बाद स्थिति बहुत खराब है क्योंकि आर्थिक गतिविधि कई गुना बढ़ गई है और हम पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं।

तथाकथित विकसित देश चाहे हम इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दें, या यूरोपीय देश जहाँ दुनिया में सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाओं में से एक हैं, इस महामारी में सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। दिन–प्रतिदिन मौतों की संख्या बढ़ रही है, दुनिया के सभी देश बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एहतियात और दवा के लिए एक टीका विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं।

कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि यह वुहान में मछली बाजार से उत्पन्न हुआ था या वुहान की नैदानिक प्रयोगशाला में।

यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि हम चिकित्सकीय रूप से इतने उन्नत हैं कि हम अपने अंगों, हृदय, यकृत, किडनी को बदलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जबकि पूरी दुनिया महामारी को रोकने के लिए अभी प्रयास कर रही है, लेकिन हम सभी पहलुओं में विफल हैं। पहले से ही 75 लाख से अधिक लोग बीमारी से प्रभावित हैं और 4 लाख से अधिक लोग पहले ही बीमारी से मर चुके हैं और अभी भी गिनती कर रहे हैं। यह कहना समीचीन होगा कि हम पाषाण युग में जी रहे हैं जहाँ उन्नत देशों की तुलना में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। हम किसी भी तरह की आपदा के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं हैं।

कोविड–19 को दुनिया में फैले लगभग तीन महीने हो गये हैं एवं अभी भी स्थिति यथावत बनी हुई है। हमें अभी भी आशा की ज्योति नहीं दिखाई दे रही है। यकीन नहीं होता कि चीजें कब सामान्य होने लगेंगी। दुनिया को देखते हुए, अधिकांश विकसित देश पूर्ण लॉक–डाउन या आंशिक लॉक–डाउन में हैं, जिसका अर्थ है कि इसके नागरिकों को केवल सबसे आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और दैनिक व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इस वायरस के कारण दुनिया को होने वाले नुकसान का ठीक से अनुमान मुश्किल

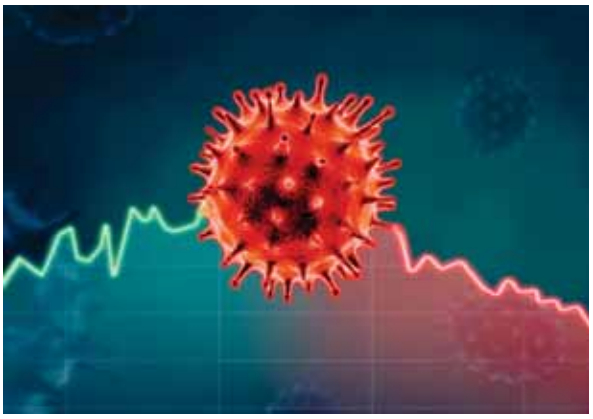

होगा, हालांकि हम कुछ बिंदुओं पर गौर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमें वर्तमान में और भविष्य के लिए बेहतर स्थिति में लाने में मदद करेंगे। यहां बड़ी तस्वीर यह है कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित है। आपूर्ति और मांग अचानक से विलुप्त हो गई है, क्योंकि न तो कोई उत्पादन है और न ही दैनिक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं की कोई मांग है। यह पूर्ण व्यवधान कुछ ऐसा नहीं है जो हमने विश्व स्तर पर लंबे समय में देखा हो। आइए हम प्रत्येक क्षेत्र को देखें और बड़े पैमाने पर इसके प्रभावों का आकलन करने का प्रयास करें। इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित असंगठित क्षेत्र होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सभी उद्योगों से संबंधित है। दैनिक जीविका पर निर्भर दैनिक मजदूरी कर्मचारी संकट के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इन जैसे लोगों के पास शायद ही कोई बचत या नकदी दूसरे दिन के लिए बचती है, इसलिए उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। सभी क्षेत्रों में मांग में कमी के कारण क्षेत्रों में नौकरी छूट सकती है या कटौती हो सकती है और इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। अधिकांश सेक्टर जिनके पास व्यवसाय चलाने के लिए आपातकालीन नकदी नहीं है वे एक कोरी आस लगाए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं।

ईमानदारी - एक जीवन शैली

– पंकज चड्ढा, क्षेत्रीय प्रबंधक

आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में, नैतिकता और ईमानदारी से जीवन जीना उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा हमेशा से था। जब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है और धोखाधड़ी में संलिप्त है,

तो ईमानदारी के साथ जीवन जीना मुश्किल लगता है। हालांकि ईमानदारी किसी भी फायदे और नुकसान के बारे में बताती नहीं है, लेखाकार किसी भी तुलन पत्र पर ईमानदारी की गणना नहीं करता है, लेकिन इस आंतरिक गुण को अनदेखा करना बहुत मंहगा पड़ता है। ईमानदारी से जीवन जीने से व्यक्तिगत और साथ ही व्यावसायिक जीवन में अत्याधिक फायदे होते हैं चूंकि यह आपसी भरोसे एवं लंबी अवधि के संबंधों को बेहतर बनाती है। **इस संबंध में ड्वाइट डी आइजनहावर ने कहा कि "लीडरशिप के लिए श्रेष्ठ गुणवत्ता निर्विवाद ईमानदारी है। इसके बिना, कोई वास्तविक सफलता मिलना संभव नहीं है।" आर. बकमिनस्टर फुलर ने यह भी कहा कि "ईमानदारी ही सभी तरह की सफलता का सार है।"**

ईमानदारी को नैतिक सिद्धांतों के पालन और सभी परिस्थितियों में सही काम करने, भले ही हमें कोई नहीं देख रहा हो, के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, ईमानदारी दृढ़ नैतिकता का परिणाम है। **ओपरा विनफ्रे के शब्दों में, "असली ईमानदारी का अर्थ सही काम करने से है, यह जानते हुए कि किसी को पता नहीं चले कि आपने ऐसा किया है या नहीं।"** ईमानदारी को मूल्य के रूप जैसे दृढ़ता, साहस और बुद्धिमत्ता में भी परिभाषित किया गया है । यह उन मूल्यों द्वारा जीवन जीने के लिए मूल्यों और संकल्प का एक विकल्प है जिससे व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता हैं। ईमानदारी का अर्थ है कि जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होना। दूसरों के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, एक व्यक्ति को पहले अपने साथ पूरी तरह से ईमानदार होना होगा। केवल वह व्यक्ति जो लगातार उच्चतम मूल्यों और गुणों के साथ जीवन जी रहा है, असल में वही व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जी रहा है। महात्मा गांधी के सर्वव्यापी तीन बंदर नैतिक संकेतों को दर्शाते हैं– बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत सुनो, यह एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम पूरी तरह से ईमानदार बन सकते है। हमारे कार्य या अवलोकन, सुनना तथा समझना इन बंदरो के कार्यों से काफी हद तक मिलता जुलता है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, और कार्य करते हैं, वही हमारे सामर्थ्य का मूल है।

यह सब सुनने में काफी आसान लगता है। हालांकि, हमेशा ईमानदार होकर जीवन जीना आसान नहीं है। कभी–कभी, हर किसी को आसान तरीका निकालने, अपनी आस्था से समझौता करने, अपने मूल्यों से झूठ बोलने का लालच दिया जाता है। यदि हम अपने जीवन में ईमानदार होकर जीने की चाह रखते हैं, तो **हम डब्ल्यू. क्लेमेंट स्टोन के शब्दों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने कहा था कि "न कहने का साहस रखें। सच्चाई का सामना करने का साहस रखें। सही काम करो क्योंकि यही सही है। ये सब आपके जीवन को ईमानदारी से जीने की जादुई कुंजी हैं।"** इसके अलावा, **हम एच**

जैक्सन ब्राउन के शब्दों को याद रख सकते हैं कि "ऐसा जीवन व्यतीत करें कि जब आपके बच्चे निष्पक्षता, देखभाल और ईमानदारी से सोचे तो वे आपके बारे में सोचें"

ईमानदारी के साथ जीवन जीना आसान नहीं है तथा जीवन की वास्तविकता यह है कि हम लगातार 'ईमानदारी' के प्रश्न का सामना कर रहे हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण में सुसंगत हों।

विंकलर ने कहा, "जब एक नैतिक मुद्दा उठता है, तो यह उपहार के रूप में नोट के साथ नहीं आता है जिसमें यह लिखा होता है कि, यह एक नैतिक मुद्दा है। नैतिकतावादी निर्णय लेने हेतु तैयार रहें। यह सिर्फ एक अन्य समस्या के रूप में सामने आता है जिसे हल करने की जरूरत है" हमें अपने जीवन में ईमानदार होने के लिए, खुद को जागरूक करने की जरूरत है। इस संबंध में कुछ उपाय इस प्रकार है:

1. अपने कार्यों की स्वयं जिम्मेदारी लें :–

सच्चा होना ही ईमानदारी है। ईमानदार लोग सही कार्य करने के विकल्प का चुनाव करते हैं, भले ही वह कितना ही कठिन क्यों न हो। **इस संदर्भ में, जिग जिगलर ने यह भी कहा कि "ईमानदारी के साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ईमानदारी के साथ, आप सही काम करेंगे, तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा।"**

2. दूसरों को संदेह से निकालें :–

हमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए तथा दूसरों को खुद को समझाने का मौका देना चाहिए। **इस संबंध में, स्टीव अल्फोर्ड ने कहा कि "हर व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की बारे में अलग राय होती है। यह सबका अपना अनुभव होता है। एक व्यक्ति का चरित्र, ईमानदारी, ही यह बताता है कि आप कौन हैं। इसके अलावा, डॉन मिगुएल रुइज ने हमें सलाह दी कि अपने शब्दों पर रहे। ईमानदारी के साथ बोलें। वही बोले जो आप कहना चाहते हो। खुद के विरूद्ध या दूसरों के बारे में गपशप करने के लिए गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचें। सच्चाई और सत्यनिष्ठा की दिशा में अपने शब्दों का सही प्रयोग करें।"**

3. सभी परिस्थिति में ईमानदारी चुनें :–

ईमानदारी का मतलब है सच्चा होना, और सच्चा ईमानदार व्यक्ति हर दिन इसी विशेषता से काम करता है। **इस सन्दर्भ में.. मिशेल ओबामा ने हाईलाइट किया है "हमने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में सीखा। यह सच में मायने रखता है कि आप गलत रास्ते पर नहीं जाते या अपने खुद के नियमों के अनुसार जीते हैं और सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसे उचित और सही तरह प्राप्त नहीं करते"**

ईमानदार व्यक्तियों की निशानी यह है कि वे हमेशा अपने हर काम को ईमानदारी से करते हैं। ईमानदार व्यक्तियों को इस बात का अहसास हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं वही उनके व्यक्तित्व का दर्पण है। जब हम अपना हर काम ईमानदारी के साथ करते हैं, तो हम यह पाते है कि हमारे जीवन में सुधार हो रहा है।

आइए, स्वयं के साथ वास्तविक होकर हर दिन ईमानदारी के साथ जीए और किसी भी व्यवहार को रोकने या बदलने के लिए निर्णायक कार्रवाई करें। जब हम इस प्रकिया से गुजरते है, हमको आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से हमारे कंधों से बोझ उतर गया और हम जो चीजें आवश्यक नहीं है उनके लिए भी अपनी कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे। ऐसे संसार में जहां व्यक्ति क्षणिक संतोष चाहता है और आगे बढ़ जाना चाहता है, यह आसान है कि व्यक्ति ईमानदारी के साथ

कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को भूल जाये, किन्तु यदि आप मूल्यों एवं सिद्धान्तों पर टिके रहते है तो आपको बाहरी उपलब्धियां तो प्राप्त होगी साथ ही आन्तरिक संतुष्टि की भी प्राप्त होगी।

निष्कर्ष हेतु, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है:

"राष्ट्र का विकास सबकी ईमानदारी से होता है"

युवा पीढ़ी पर बढ़ते दबाव

– अजय कुमार, प्रबंधक

वर्तमान युवा पीढ़ी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह युवा पीढ़ी वह है जिसने स्वतंत्र भारत की भूमि पर जन्म लिया है। उसे परतन्त्र भारत की दशा का वास्तविक ज्ञान नहीं है। युवा पीढ़ी का जीवन अपेक्षाकृत जटिल होता जा रहा है। उसके मन में वर्तमान के प्रति आक्रोश है। उसका भविष्य अनिश्चित है।

देश में अनेक समस्याएं हैं। इनमें से कुछ राजनैतिक कुछ सामाजिक एवं कुछ आर्थिक हैं। युवा पीढ़ी इनसे कहीं न कहीं से अवश्य जुड़ी होती है। नवस्वातंत्रय राष्ट्रों के समान भारत के समक्ष भी अनेक चुनौतियां है जैसे कि निर्धनता, अशिक्षा, बेकारी, आवास की कमी, अंधविश्वास आदि। जनसंख्या वृद्धि तथा आतंकवाद ने भारत की प्रगति पर प्रश्नचिन्ह लगा रखा है।

हमारे समाज में भ्रष्टाचार एक भयंकर संक्रामक बीमारी के समान है जहां "डाली देने की प्रथा" आज अत्यंत विकृत रूप में भारतीय सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। कोई भी कार्य करना हो बिना रिश्वत दिए नहीं हो पाता। अस्पताल में नवजात शिशु के जन्म से लेकर शमशान घाट पर मुर्दा जलाने तक के समय किसी न किसी रूप में घूस देनी ही पड़ती है। इस संक्रामक रोग से बचने के लिए हमें स्वस्थ परंपराओं से युक्त समाज निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए।

भारतवर्ष एक धर्म–निरपेक्ष गणतंत्र है। यहां प्रत्येक धर्मावलंबी को अपनी–अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपने आराध्यदेव की आराधना करने की स्वतंत्रता है। किंतु कुछ स्वार्थी तत्व देश की एकता को खंडित करने के लिए धर्म के नाम पर लोगों के मन में विष भर कर साप्रंदायिक हिंसा कराते रहते हैं। इससे कुछ लोग देश को विभिन्न संप्रदायों के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। हमें इस षड़यंत्र से सावधान रहना चाहिए तथा देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए क्योंकि "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना"

हमारे आधुनिक समाज की दुर्दशा का सर्वप्रमुख कारण लोगों में व्याप्त अनुशासनहीनता है। आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर से लेकर घर–घर तक यह रोग फैल चुका है। राजनेता पद लोलुपता के कारण निरंतर दल–बदल कर अपनी रोटियां सेकते हैं।

उनकी कथनी और करनी में अंतर अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी वर्ग, मजदूर वर्ग, आदि सभी खुले–आम अनुशासन का उपहास उड़ा रहे हैं। बच्चे अपने माता–पिता की आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे हैं। समाज में गुरुजनों के प्रति आदर घट रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए युवा पीढ़ी को अपने सामाजिक जीवन आचरण में अनुशासन ला कर गली, मुहल्ले, नगर, राज्य तथा देश में अनुशासन लाना होगा।

हमारे समाज में जागरूकता के अभाव के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है अतः युवा पीढ़ी को निरक्षरता को दूर कर उन्हें शिक्षित करना चाहिए। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करना होगा। शिक्षित नागरिक ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से परिचित होकर परिवार नियोजन का महत्व समझ सकेंगे तथा एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। सामाजिक जागरूकता के द्वारा ही समाज में व्याप्त बेरोजगारी, मद्यपान, गरीबी आदि की समस्याओं का भी निराकरण किया जा सकता है। इसके लिए जन–जागृति अभियान चलने चाहिए। इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा।

आज हमारे समाज में आतंकवाद की समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व देश एवं समाज की शांति भंग करने के लिए निर्दोष नागरिकों को मारकर वातावरण को अशांत बना रहे हैं। इसके लिए युवाओं को सजग रहना चाहिए तथा किसी भी संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति की सूचना निकटस्थ पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए। भारत में आतंकवाद के विकसित होने के कारण है – गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी तथा धार्मिक उन्माद। इनमें से धार्मिक कट्टरता आंतकवादी गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहित कर रही हैं। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला घोंटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहनशीलता की कमी के कारण लोग विरोधी धर्मावलंबी को सहन नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप धर्म के नाम पर अनेक दंगे भड़क उठते हैं। इतना ही नहीं धर्म के नाम

पर अलगाववादी अलग राष्ट्र की मांग भी करने लगे हैं। इससे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रहीं है। गुमराह युवा वर्ग को समुचित प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाए जाने चाहिए। यदि युवा–वर्ग को व्यस्त रखकर तथा उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य दे दिया जाए तो वे गुमराह नहीं होंगे। इससे आंतकवादियों को अपना षड़यंत्र पूरा करने के लिए जन शक्ति नहीं मिलेगी तथा वे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इस कार्य में युवाओं को आगे बढ़ कर कार्य करना होगा।

सामाजिक समस्याओं के प्रति भी युवा पीढ़ी को रचनात्मक भूमिका निभानी है। राष्ट्र के सम्मुख दहेज प्रथा, जाति–पांत की समस्या, धार्मिक विद्वेष की समस्या विकराल होती जा रही है। युवा पीढ़ी को दहेज का कलंक मिटाना होगा। आरक्षण के प्रश्न पर युवा पीढ़ी के मन में गहरा अंसतोष है। आरक्षण विरोधी अनेक आंदोलन भी चलाए गए हैं योग्य उम्मीदवार के स्थान पर कई बार अयोग्य उम्मीदवार इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाता है। इस स्थिति को तर्क संगत बनाना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के महत्व को विद्यार्थियों को समझना होगा। उनके सहयोग के बिना यह एकता संभव नहीं है। युवकों को राष्ट्रीय समस्याओं की पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए और उनका सहयोग लिया जाना चाहिए।

किशोरावस्था से युवावस्था में पर्दापण करते ही विद्यार्थी जब अपनी शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात काम की तलाश में सड़कों पर भटकता है। तो उसका खून खौल उठता है। वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था, भावी जीवन की दिशा हीनता तथा गुमराह नेतृत्व उसे आंदोलन एवं हिंसा की ओर प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम युवा–वर्ग को सही दिशा दें। उनकी शिक्षा मात्र पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रह कर उनके भावी–जीवन के निर्माण में भी सहायक हो। उनके लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जुटाए जाएं। उनके सम्मुख अनुशासित परिवेश बनाना चाहिए; क्योंकि जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। अपने समाज तथा राष्ट्र निर्माण के लिए हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता एवं आधुनिक फैशन के प्रति बढ़ते आकर्षण ने युवा–वर्ग को अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर कर दिया है। इस अंधानुकरण के स्थान पर हमें "सादा जीवन एवं उच्च विचारों" से युक्त जीवन पद्धति प्रस्तुत करना चाहिए। समाज में व्याप्त छूआछूत, संप्रदायिकता, वैमनस्य आदि संकीर्ण विचारों के स्थान पर पारस्परिक सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए।

आज का युवक विचारवान, बुद्धिमान, तर्क शक्ति से संपन्न तथा कर्मशील है। उसे आंदोलन एवं हिंसा का मार्ग त्याग कर देश को नेतृत्व प्रदान करने के लिए दिखावे एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति, शोषण, अनैतिकता आदि का समाज से समाप्त कर एक स्वस्थ एवं सहज समाज का निर्माण करना होगा। अंधेरी रात में जलते हुए छोटे से दीपक को पता है कि सूर्य के सम्मुख उसका कोई अस्तित्व नहीं; किंतु अंधकार में उस छोटे से दीपक का प्रकाश ही सूर्य के प्रकाश से कम नहीं है। बूंद को सागर का पता नहीं होता किंतु बूंद का न होना सागर के आस्तित्व को भी समाप्त कर सकता है अतः जो जहां भी है वह अपने अल्प प्रयास द्वारा भी समाज को सही दिशा दे सकता है तथा युवा वर्ग को आंदोलन एवं हिंसा के मार्ग से हटा कर उन्हें समाज को सुन्दर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा समाज सेवा, रोगी सेवा, नगर सुधार, ग्रामीण विकास आदि के कार्यों में लगाया जा सकता हैं। वे समर्थ है अतः उनकी सामर्थ्य का समुचित उपयोग होना चाहिए।

आधुनिक युग में यूरोपीय देश का युवा वर्ग भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहा है। वह भौतिक जीवन की मृगतृष्णा से ऊब चुका है। अब वह सादगी और पवित्रता के पथ पर चलना चाहता है जबकि भारतीय युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित है। विदेशी संस्कृति के अनुकरण के कारण हमारे नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। यदि हम विश्व में भारत के गौरव की मलिन नहीं करना चाहते तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालना होगा।

युवा पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए, कहीं इस भौतिकवाद के युग में अपनी संस्कृति को भूलकर अपने रास्ते से भटक न जाएं। युवा पीढ़ी के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए नाटक चल–चित्र, वाद–विवाद, हस्त–शिल्प आदि के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना चाहिए। इसके लिए हमारे युवा वर्ग को आगे आना होगा। इस भौतिकवादी युग में पश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध की अंधी दौड़ से युवा वर्ग अपनी संस्कृति से भटक रहा है। वह अपने सामाजिक नैतिक मूल्य को भूलता जा रहा है। इन्हें सही दिशा देने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे अवश्य आना होगा।

मानसिक स्वास्थ्य

– मनोज कुमार, उप प्रबंधक

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तकरीबन 7.5 प्रतिशत भारतीय किसी न किसी रूप में अवसाद से ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित होगी। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के विस्तृत अध्ययन और उसके समाधान को पुनः विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है, आज भी यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है और इसे काल्पनिक माना जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिये हानिकारक हो सकते हैं उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य

- मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

- गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है।
- मानसिक विकार में **अवसाद** (Depression) दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है।
- मानसिक विकार कई सामाजिक समस्याओं जैसे– बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति

- हाल ही में **इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव** द्वारा भारत में मानसिक विकारों के संबंध में एक अध्ययन किया गया जिसे **लांसेट साइकाइट्री** में प्रकाशित किया गया।
- इसके अनुसार, अवसाद तथा चिंता भारत में मानसिक विकारों के प्रमुख कारण हैं तथा इनका प्रभाव दक्षिणी राज्यों और महिलाओं में अधिक है। इसके अलावा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
- लगभग प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय या कुल 19 करोड़ 70 लाख लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित हैं।
- वर्ष 2018 में लगभग 35 लाख लोग **सिजोफ्रेनिया** से ग्रसित थे। इसका प्रभाव गोवा, केरल, तमिलनाडु तथा दिल्ली में सर्वाधिक था।

मानसिक विकार के कारण

- मानसिक विकार का एक महत्त्वपूर्ण कारक अनुवांशिक होता है। मनोविक्षिप्त या साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाए जाते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चों में यह खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।

- मानसिक विकार की एक वजह शारीरिक परिवर्तन भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भ–धारण जैसे शारीरिक परिवर्तन के कारण मानसिक विकार की संभावना बढ़ जाती है।

- मनोवैज्ञानिक कारणों को आज के समय में इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। उदाहरण के लिये आपसी संबंधों में टकराहट, किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु, सम्मान को ठेस, आर्थिक हानि, तलाक, परीक्षा या प्रेम में असफलता इत्यादि।

समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा

- वस्तुतः जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर मानसिक बीमारी (Mental illness) हमेशा से एक उपेक्षित मुद्दा रही है। इसके विषय में न केवल समाज का रवैया बेरूखा है बल्कि सरकार की दृष्टि में भी यह एक उपेक्षित विषय ही है।

- सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को पागल समझा जाता है और उस व्यक्ति को समाज में उपेक्षा भरी नजरों से देखा जाने लगता है।

- मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति समाज व परिवार के उपेक्षा पूर्ण बर्ताव के कारण अकेलेपन का भी शिकार हो जाता है। अकेलेपन के कारण वह अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या तो स्वयं को हानि पहुँचाता है या अन्य लोगों को।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ

- आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में महिलाओं की आत्महत्या दर पुरुषों से काफी अधिक है। जिसका मूल घरेलू हिंसा, छोटी उम्र में शादी, युवा मातृत्व और अन्य लोगों पर आर्थिक निर्भरता आदि को माना जाता है। महिलाएँ मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती हैं। परंतु हमारे समाज में यह मुद्दा इतना सामान्य हो गया है कि लोगों द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता।

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियाँ भी एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिये भारत में वर्ष 2017 तक आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था और भारतीय दंड संहिता के तहत इसके लिये अधिकतम 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था। जबकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अवसाद, तनाव और चिंता आत्महत्या

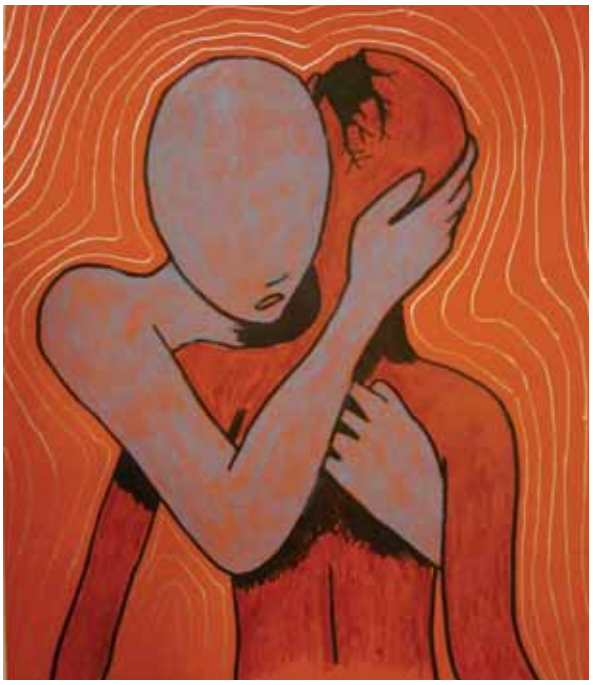

के पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं।

- ध्यातव्य है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिये भी भारत के पास आवश्यक क्षमताओं की कमी है। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में भारत की विशाल जनसंख्या के लिये मात्र 5,147 मनोचिकित्सक और 2,035 से भी कम मनोवैज्ञानिक मौजूद थे।

- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को ठीक ढंग से संबोधित न किये जाने के कारण अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल देश की मानव पूंजी को नुकसान होता है बल्कि प्रभावित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि इस रोग के इलाज की जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे अपेक्षाकृत काफी महंगी हैं।

बजटीय व्यय का अभाव

- गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार, भारत के अधिकांश राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य का कुल बजट 1 प्रतिशत से भी कम है।

- इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी

दिशा–निर्देशों में स्पष्टता और संपूर्णता की कमी होने के कारण सही दिशा में धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

- वर्तमान में केवल गुजरात और केरल दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिये अलग बजट की व्यवस्था की गई है।

सरकार के द्वारा किये गए प्रयास

- वर्ष 1982 में मानसिक रोग से निपटने के लिये देश में मानसिक देखभाल के आधारभूत ढाँचे के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
- कार्यक्रम की कार्यनीति में वर्ष 2003 में दो योजनाओं राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों/जनरल अस्पतालों में मनोचिकित्सा विंग को शामिल किया गया।
- वर्ष 2014 को सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इस नीति के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया गया उनमें मुख्य रूप से रोगी केंद्रित और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले प्रावधान थे। इसके साथ–साथ इसके अंतर्गत सेवा वितरण और प्रशासन में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाने संबंधी प्रावधानों को भी जगह दी गई।
- सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act), 2017 लेकर आयी ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।
- यह अधिनियम 7 अप्रैल, 2017 को पारित किया गया था तथा यह 7 जुलाई, 2018 से लागू हुआ था। अधिनियम ने 1987 में पारित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का स्थान लिया है।

अन्य प्रयास

- सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर–संचारी रोगों के फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- एन.सी.डी. के फ्लेक्सी पूल हेतु आवंटित राशि को पिछले दो वर्षों में तकरीबन तीन गुना बढ़ाया गया है। यानी अब राज्यों द्वारा केंद्र–प्रायोजित योजनाओं के कोष का उपयोग विशेषज्ञों एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान में किया जा सकता है।
- मानसिक विकार से पीड़ित लोगों की पूर्व जाँच और उनके इलाज के लिये जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभिन्न निवारक गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कॉलेज परामर्श सेवाएं, कार्यस्थल पर तनाव कम करने और आत्महत्या रोकथाम सेवाएं शामिल हैं।

आगे की राह

- वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि इससे निपटने के लिये उपर्युक्त क्षमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों में वृद्धि की जाए।
- यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाएँ तो निश्चय ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है और इसलिये इसकी चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य और केंद्र के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है।
- बजटीय आवंटन की चिंताजनक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों में एक बड़ी बाधा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान तथा अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की पहचान करते हुए, मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिये एक निश्चित आय की व्यवस्था कर दी जाए।

गृह निर्माण कला

– डॉ. जी.एन. सोमदेवे, पूर्व उप महाप्रबंधक

यह सर्व विदित है कि गृह निर्माण के कार्य में प्रमुख रूप से लिप्त मजदूर, मेसन, मिस्त्री कम पढ़े लिखे होते हैं। कुछ दिन मजदूरी करने के पश्चात यही मजदूर अपने को मिस्त्री घोषित कर ईंटे जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर देता है। स्थिति विज्ञान के विपरीत है। मैं बड़े–बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं अपितु निवास हेतु प्लॉट लेकर ठेकेदारी पर गृह निर्माण की बात कर रहा हूं। प्रांरभ में ठेकेदार कहेगा कि उसके पास पूरे संसाधन हैं जैसे, मजदूर, मिस्त्री, सेंट्रींग सामग्री, पिलर पॉट आदि तथा अक्सर कहेगा कि यह रेट चल रहा है परंतु आप जो देना है दे देना। यह भयावह स्थिति है। उसके कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य स्थल पर जाकर जानकारी लेनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि ठेकेदार का कथन सही है या नहीं। इससे पहले यह भी देख लेना जरूरी है कि ठेकेदार की बॉडी लेंग्वेज कैसी है। यदि रफ क्वालिटी का आदमी है तो उसे काम न दें। उसे शिक्षित होना चाहिए मसलन नाप–जोख आता है। साधारणतः अपना छोटा मकान (2–3 कमरे वाला) बनाने के लिए हम इंजीनियर या वास्तुविद की मदद नहीं लेते हैं क्योंकि उसका खर्च अलग से वहन करना होता है जो कि कम बजट में पूरा नहीं होता है। सभी बातें लिखित में करवा लें ताकि बाद में ठेकेदार से बहस न हो। लिखित में दोनों पक्षों की दस्तखत एवं गवाही भी रख लें। लिखित हैण्डराइटिंग में नहीं बल्कि टाइप किया हो। दस्तखत होने के पश्चात एक प्रति ठेकेदार को तुरंत दें।

ठेकेदार से बिल्कुल स्पष्ट बात हो कि एरिया के हिसाब से प्रतिवर्गफुट चार्ज क्या होगा? अतिरिक्त कार्य जैसे लिफ्ट, पोर्च, अलमारी के क्या रेट होगें। पैराफिट वाल को किस श्रेणी में रखा जाएगा क्या उसे प्रथम मंजिल मानकर अलग रेट होंगे या वही रेट होंगे? ज़ीने के क्या रेट। टप्पे बनाने के क्या रेट? आरसीसी, ईंटों के अतिरिक्त कार्य का तथा उस पर पलस्तर का क्या चार्ज होगा इत्यादि। साधारणतः गृह निर्माण कार्य में ठेकेदार को 30 प्रतिशत तक बचत होती है। इतनी ही उसे मार्जिन मिलती है। प्रत्येक शनिवार को वह मजदूरों का पेमेंट लेता है, उस पर 30 प्रतिशत अपना कमीशन चार्ज करता है। मजदूरों के मजदूरी पर नजर रखनी होगी तथा अपना साप्ताहिक भुगतान का रिकार्ड रखें। वरना ठेकेदार अपने हिसाब से बढ़ा हुआ पैसा मांगता है। यदि आप अपना हिसाब रखते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह आपसे अतिरिक्त पैसे मांगे। पहले ही तय कर लें कि ठेकेदार को

निर्माण स्थल पर प्रत्येक दिन आकर गत दिवस के कार्य का निरीक्षण करना है तथा कहां आड़ा हुआ, कहां तिरछा हुआ, कहां ईंटें गुनिया के हिसाब से जोड़ी गई है या नहीं तथा प्लस्तर सीधा एवं गुनिया, फंटी, गोले के हिसाब से हो यह सब आपको भी चेक करना है। कोई कामगार बिल्कुल अनजान है या उसमें कोई स्किल नहीं है तो उसे ठेकेदार से बोलकर काम से निकाल देने को कहें। साधारणतः मैटेरियल कभी भी ठेकेदार के कनेक्शन से ना खरीदें। यदि ऐसा किया तो आपको ठेकेदार की कमीशन सहनी पड़ेगी। मजदूरों की मजदूरी पर साप्ताहिक पेमेंट के साथ–साथ 30 प्रतिशत कमीशन लेने के पश्चात ठेकेदार की ठेकेदारी रकम बचती नहीं है। लेकिन यदि आपने लिखा पढ़ी नहीं की है तो काम खत्म होने पर वह आप से 1 या दो लाख तक डिमांड कर सकता है। यह स्थिति गंभीर है। अलमारी पोर्च आदि का स्टैन्डर्ड नाप होने के बावजूद वह 2 इंची या 3 इंची का अतिरिक्त भुगतान मांग सकता है। बी क्लास सिटी में ग्रांउड फ्लोर एरिया के 160 रुपए तथा प्रथम मंजिल के 170 रुपए प्रति वर्ग–फुट के हिसाब से ठेकेदारी चार्ज होता है। अतिरिक्त निर्माण जैसे पोर्च, अलमारी आदि का नग के हिसाब से तय करें या आरसीसी रेट पर। यह सब पहले ही तय कर लें। अतिरिक्त दीवारों का खर्च 50 से 60 रुपय प्रति वर्ग फुट हो सकता है जुड़ाई एवं प्लस्तर मिलाकर। जो मिस्त्री ईंटों की जुड़ाई करता है वह अच्छा प्लस्तर करे यह जरूरी नहीं। काम देखकर आदमी तय करें। ठेकेदार को प्लस्तर का विशेष

मिस्त्री लाने को कहें। फ्रंट एलेवेशन/डिजाइन से संबंधित बात तय कर लें। स्पेसीफिक यानि कि विशेष डिजाइन के लिए पारिश्रमिक तय करें। वैसे ठेकेदार को फ्रंट में कुछ तो डिजाइन देना ही होगा।

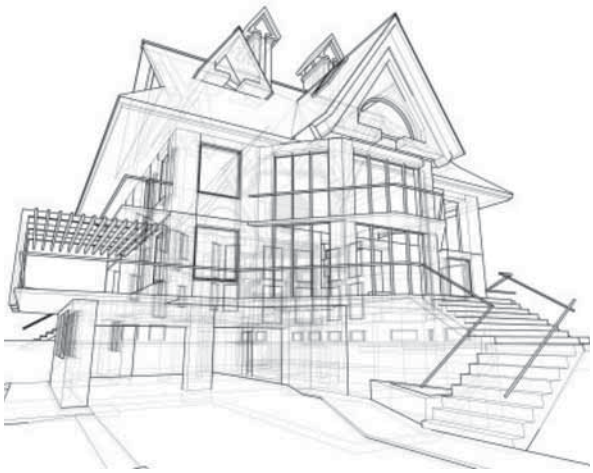

जिसका वह अतिरिक्त भुगतान नहीं मांग सकता। लेकिन डिजाइन ज्यादा हो तो पहले ही तय करें। फ्रेब्रिकेशन के पेरो में भी कामगारों की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कुशल कामगारों का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेब्रिकेटर्स के पास छोटे बच्चों को यानि कि 10–12 साल के बच्चों को काम करते हुए आपने अक्सर देखा होगा। इन बालकों से अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे बालक अक्सर फ्रेब्रिकेटर के रिश्तेदार या खुद के अपने बच्चे होते हैं। फ्रेब्रिकेटर 30–35 रुपए रॉड, एकल, पत्ती, पाइप खरीदकर 60–65, 70–75 तक ग्राहकों को बेचता है। कार्य में अक्सर गलतियां एवं चालाकी से काम को करना कोई नई बात नहीं है। नाप से छोटा कर देना या फिर बड़ा बना देना उसके फितरत में होता है।

अतः नाप अपने सामने कराएं एवं जब माल लेने जाएं तो पेमेंट से पूर्व नाप लें। इसके लिए मकान मालिक को स्वयं एक छोटा 5 मीटर वाला टेप अपने पास रखना चाहिए। जालियां आदि फिट करते वक्त यह देखना जरूरी है कि फ्रेब्रीकेटर बेहिसाब जालियां बनाकर फिट नहीं होने पर आपकी दिवार आदि तोड़कर जबरदस्ती फिट करने का प्रयास करेगा। यह ठीक नहीं है क्योंकि धार को टूटने पर दुबारा बनाना या बनवाना अतिरिक्त खर्च का सबूत होता है तथा दीवारों की धार–कोर दुबारा ठीक से नहीं बनती। अतः फेब्रीकेटर को चाहिए कि वह अपने द्वारा बनाई गई सामग्री का साइज ठीक करें और तब उसे फिट करें। जालियां, सीढ़ियां आदि यदि मिस्त्री फिट करता है तो वह फेब्रिकेटर की हजार गलतियां निकाल सकता है। इसलिए जालियों की फिटिंग भी फब्रिकेटर के जिम्मे रखें, भले ही फिटिंग चार्ज देना पड़े।

लोहे की खिड़कियों, चौखटों पर कब्जे लगाने का कार्य कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। छोटे कार्य छोटे बालकों से कराया जाता है जिससे उन कब्जों पर पल्ले ठीक नहीं बैठते। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ई भी आपका कुशल हो वरना ठोक–पिट करने में ज्यादा विश्वास करने वाला आपके कीमती फर्नीचर के बारह बजा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीढ़ियों के टप्पे एक समान बनाए गए हों वरना चढ़ते वक्त तो ठीक है उतरते वक्त आपका संतुलन बिगड़ सकता है एवं आपके शरीर को विकलांग बना सकता है। अतः मकान निर्माण कार्य बहुत सोच विचार कर प्रारंभ करना चाहिए। विकास प्राधिकरणों से लिए गए लिज–होल्ड पनह पर गृह निर्माण अनुमति नगर निगम से भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वरना नगर निगम के लोग आपको परेशान कर सकते हैं।

गृह निर्माण एक सूझ–बूझ की कला है। सबको ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं किंतु कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए। यदि प्लॉट छोटा है तो नक्शे के हिसाब से पिलर खड़े कर उस पर छत डाल दें एवं उस छत पर गृह निर्माण करें। इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त व्यय होता है लेकिन आपको प्लॉट के बराबर अतिरिक्त जगह मिल जाती है जो पार्किंग करने, बागवानी करने, स्टोर बनाने के काम आ सकती है। वैसे भी प्रथम मंजिल पर रहना सुरक्षित होता है क्योंकि दीमक, चीटियां, सांप, बिच्छू आदि का डर नहीं होता। फेंसिग, जालियों, की लोहे की डिजाइनें हल्की डालें। वजन में कम हो। फेब्रिकेटर हमेशा वजन बढ़ाने के चक्कर में रहता है ताकि उसके पैसे बने। अतः आपको स्वयं सावधान रहना चाहिए कि लोहे की डिजाइनवाली जालियों का वजन न बढ़े। टाइल्स लगाना, टाइल्स खरीदना, प्लबिंग और कारपेंटर का कार्य गृह निर्माण ठेकेदारों के अतिरिक्त लोगों से कराएं ताकि घर में

भीड़ न बढ़ें। कम से कम लोगों में काम चलाएं। अपने निर्माण कार्य के लिए तहसीलदार, उप मंडलीय अधिकारी से अनुमति भी अवश्य ले लें क्योंकि अनेक शहरों में कोरोना काल में गृह निर्माण कार्य करना

वर्जित है। ऐसा न हो कि आपको भारी अर्थदंड चुकाना पड़े। अपनी गृह निर्माण सामग्री सड़क पर न रखें। तत्काल उसे अपनी सीमा में कर लें। ऐसा करने से आप अपनी सामग्री प्रशासन द्वारा जब्त करने से बचा सकते हैं और आस–पड़ोस में रहने वालों से होने वाले झगड़े आदि से भी बच सकते हैं। अनिवार्यतः स्वच्छता रखना जरूरी है प्रतिदिन निर्धारित समय से आधा–एक घंटे पूर्व काम बंद कराकर सफाई करवा लें। यह कार्य दैनंदिन तौर पर करवा लें वरना बाद में अतिरिक्त लेबर लगाकर सीमेंट छुटाना/सफाई करवाना बहुत महंगा होता है। सावधानी टली और दुर्घटना हुई समझें।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्ण काम होने तक अपना संयम बनाए रखें। बात–बात में गरम न हों, ताव न खाएं। शांति बनाए रखना जरूरी है और ठेकेदार, मजदूरों से ज्यादा बात न करें। अपना कीमती सामान संभालकर रखें। विशेषकर अपना मोबाइल जिस पर कोई भी हाथ साफ कर सकता है। ऐसा गृह निर्माण के दौरान अक्सर मोबाइल चोरी हो जाता है। यह अनुभव की बात है। जब भी निर्माण कार्य देखने जाएं तो अपना घर लॉक रखें। देखरेख में रखें। अच्छा हो निर्माण स्थल पर 10–20 हजार खर्च कर सीसी टीवी कैमरे लगा लिए जाएं। निर्माण कार्य में तराई का विशेष महत्व है। इस मामले में गृह स्वामी अज्ञानी होता है। वह पिछले दिन किए गए कार्य पर बड़े हेवी पंप से तराई करता है। परिणाम स्वरूप जुड़ाई हिल जाती है। अगर प्लस्तर हो रहा है तो प्लस्तर बह जाएगा या उसमें छेद–छेद हो सकते है। बेहतर है छोटे पंप से तराई करें या ठेकेदार के आदमियों से यह कार्य करवाएं। सुबह काम प्रारंभ करने से पहले तराई करें या करवा लें। इसे आवश्यक समझें। हर चीज की तराई एक सप्ताह तो जरूरी हो। बजट निर्माण के हिसाब से नार्मल सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में ऐसे तकनीकी सीमेंट मिलते हैं जो कि कम पानी पीते हैं। इसी बात को भुनाकर सीमेंट विक्रेतागण आपसे संपर्क करेंगे लेकिन उनके झांसे में ना आएं। विशेष कर लिंटर में ऐसे सीमेंट का इस्तेमाल घातक हो सकता है। कम पानी के चक्कर में कुछ दिन बाद लिंटर फट जाता है। और आप न घर के न घाट के रह जाते हैं। उसे रिपेयर करने के कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है। किस्मत को दोष देना ही पड़ता है तब कोई सप्लायर, कोई ठेकेदार आपका साथ नहीं देता। घरवालों के ताने सुनने पड़ते हैं। अतः छोटे बजट वाले गृह स्वामी को चाहिए कि वह साधारण ब्रांडेड सीमेंट इस्तेमाल करें। गरीबी में आटा गीला कर लेना भारी पड़ सकता है। कम पानी पीने वाले सीमेंट की आवश्यकता वहां ठीक है जहां पानी की अत्याधिक कमी है लेकिन वहां बाद में क्या हाल होता होगा भगवान जाने। इसे आप यूं समझें कि जहां बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां इंजीनियर साइट पर मौजूद रहते हैं तथा मिक्सर मशीनों से कार्य किया जाता है। वहां ऐसा सीमेंट इस्तेमाल करना हो सकता है ठीक हो, परंतु लो बजट के गृह स्वामी को अपने घर में नया प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे

आप धन के अपव्यय से बच सकते हैं। आखिर आप अपना मकान बड़े परिश्रम के पैसों से बना रहे हैं। उसकी कीमत समझें। मैटेरियल के साथ ठेकेदार को गृह निर्माण कार्य देना अक्सर बहुत महंगा होता है। क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है।

मैंने अपने लेख के प्रथम पैराग्राफ में ही उल्लेख किया था कि गृह निर्माण कार्य में लगे हुए अधिकतर ठेकेदार, मिस्त्री, लेबर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन अल्पशिक्षित होते हैं। अधिकांश केवल अनुभव आधार पर कार्य करते हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि इनके लिए अल्पावधि का ही क्यों न हो प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। बिना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के इन्हें गृह निर्माण कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गृह स्वामी को भी चाहिए कि अनपढ़ों को गृह निर्माण कार्य में न लगाएं। बकायदा उनके शिक्षा, दीक्षा, अनुभव आदि को पूछ कर ही उन्हें काम देना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन काल की समस्त पूंजी खर्च कर एक रिहायशी मकान बनाता है और अनपढ़ कारीगर उसके सपनों पर पानी फेर सकते हैं। लेबर क्यों न हो उसे भी शिक्षित होना जरूरी है। गारा बनाते वक्त कितनी रेत, कितनी रोड़ी और कितना सीमेंट पानी आदि की उसे गिनती आनी चाहिए। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि गृह निर्माण कार्य में अशिक्षित व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों को नियम बनाने चाहिए। गृह निर्माण मजदूरों को शोषण मुक्त करने के लिए अलग से नियामक एजेंसियां हों, जो उनकी मजदूरी से लेकर कार्यशैली और सुविधाओं पर नजर रखें। ठेकेदार किसी भी तरीके से उनका शोषण न कर सके इसकी जवाबदारी तय होनी चाहिए।

कोरोना महामारी पर निशा का संदेश

– मेनका राणा, उप प्रबंधक

"निशा" अपने माता–पिता, भाई–बहनों के साथ परिवार के स्वच्छन्द वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह नौंवी कक्षा की छात्रा है। वह अपने विद्यालय में अपनी अनेक सहेलियों के साथ अध्ययनरत थी। वह नियमित अपनी कक्षा में जाती थी तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही थी। शिक्षिका भी बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में अहम भूमिका निभा रही थी।

निशा अपने विद्यालय से पूरी तरह प्रसन्न थी। वह समय पर विद्यालय जाती थी। नियमित तालिकानुसार प्रत्येक विषयों का अध्ययन करती थी। विद्यालय के अन्य क्रिया–कलाप में भी वह बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अपने विचारों का आदान–प्रदान अपनी सहेलियों के साथ सुगमतापूर्वक करती थी। अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर अपने शिक्षकों के सहयोग से विशेष कक्षा में कर लेती थी। गृह कार्य को निरंतर करती थी। विद्यालय में इसे शिक्षकों के द्वारा भरपूर प्रोत्साहन मिलता था। खेल–कूद में भी यह रूचि रखती थी। विद्यालय परिसर में होने वाले अनेक प्रकार के खेल–कूद में भी वह बराबर भाग लिया करती थी। विद्यालय में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में वह बहुत ही शौक से हिस्सा लेती थी। वाद–प्रतिवाद कार्यक्रम में भी वह भाग लेती थी। वह एक अच्छी वक्ता थी। किसी भी बात को बहुत कुशलतापूर्वक मंच पर रखती थी। इसके भाषण में तालियों की गड़गड़ाहट बड़े जोर–शोर से होती थी।

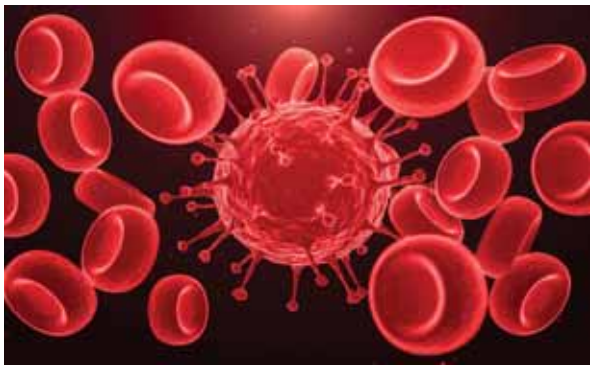

निशा एक सुशील, आज्ञाकारी छात्रा है। शिष्टाचार इसके कण–कण में भरे हुए हैं। यह मधुरभाषी है। संगीत से भी इसे बहुत प्यार है। यह अनेकों बार विद्यालय में अनेकों पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। अनेक क्षेत्रों में विद्यालय की ओर से विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर

चुकी है। अपने विद्यालय में यह एक आदर्श छात्रा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है।

निशा के माता–पिता भी इसके कार्यों से संतुष्ट थे। इसका लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। आगे चलकर यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर आई.ए.एस. अथवा आई.पी.एस. बनना चाहती है। उसमें लगन है, मेहनती है, दूर–दृष्टि है। वह जरूर लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसके लिए वह अभी से प्रयत्नशील है। वह अच्छे संगीत को पसंद करती है। उसके मित्र–मंडली में अच्छी–अच्छी सहेलियां हैं। वे आपस में सकारात्मक विचारों का आदान–प्रदान करती है। किसी भी समस्या का हल आपसी विचारों के वाद–प्रतिवाद से कर लिया करती है। निशा अपनी जीवन यात्रा में निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी। किन्तु प्रकृति का ऐसा चक्र चला कि सब उलट–पुलट हो गया।

निशा अब विद्यालय नहीं जा रही है। वह अपनी पढ़ाई घर पर ही कर रही है। सहेलियों से मिलना–जुलना बन्द हो गया है। विद्यालीय क्रियाकलापों में भाग लेना बंद हो गया है। शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया है। एकाएक स्वच्छन्द वातावरण से किनारे एकान्त वातावरण में आ गई है। उसकी पढ़ाई–लिखाई घर पर ही एकान्त कमरे में सिमट गई है। केवल अपने ही परिवारों के साथ बातचीत करना, मिलना–जुलना हो गया है। अब उसके साथ उसकी किताब–कॉपियां, कम्प्यूटर ही रह गए हैं। उसका

विकास अर्न्तमुखी सा हो गया है। न किसी से बोलना, न किसी से बतियाना, न किसी प्रसंग या समस्या पर आपसी वाद प्रतिवाद,

सब बन्द हो गया है। अब वह सिमट सी गई है। जबकि बच्चों को पक्षियों की भांति स्वच्छन्द तथा खुले वातावरण की आवश्यकता होती है। ये पक्षियों के ही समान होते हैं। इन्हें अपना पंख फड़फड़ाने के लिए पर्याप्त खुला, स्वच्छन्द आसमान चाहिए। इसी में इनका सम्पूर्ण विकास निहित होता है।

निशा की भी मनःस्थिति उसी पंछी के समान हो गई है जो पिंजरे में बंद हो गई है। निशा की मनःस्थिति को मैं चन्द पंक्तियों के माध्यम से दर्शाना चाहती हूं जिसका संकलन माननीय कवि महोदय श्री शिवमंगल सिंह "सुमन" ने किया है। इन पंक्तियों से ओत–प्रोत है निशा की वर्तमान जीवन शैली। ये पंक्तियां इसके जीवन को चरितार्थ करती है तथा मनःस्थिति को स्पष्ट करती है –

हम पंछी उन्मुक्त गगन के
पिंजरबद्ध न गा पाएंगे,
कनक तीलियों से टकराकर
पुलकित पंख टूट जाएंगे।

हम बहता जल पीनेवाले
मर जाएंगे भूखे–प्यासे,
कहीं भली है कटुक निबौरी
कनक–कटोरी की मैदा से।

ऐसे थे अरमान कि उड़ते
नीले गगन की सीमा पाने,
लाल किरण–सी चोंच खोल
चुगते तारक–अनार के दाने।

होती सीमाहीन क्षितिज से
इन पंखों की होड़ा–होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता
या तनती सांसों की डोरी।

नीड़ न दो, चाहे टहनी का
आश्रय छिन्न–भिन्न कर डालो,
लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।

उपर्युक्त पंक्तियां निशा के वर्तमान जीवन का प्रत्यक्ष दर्पण है। सारी खुशियां सिमटाकर बंद कमरे में कम्प्यूटर लेकर बैठ जाती है। एक प्रकार ताला लग गया है।

अब इसके कारण की ओर मैं प्रकाश डालना चाहती हूं। इसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन का होना। अचानक प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि दिनांक 22/03/2020 को सम्पूर्ण देश बंद रहेगा तथा 24/03/2020 से सम्पूर्ण देश में अगले आदेश तक लॉकडाउन रहेगा। सारे कल–कारखाने, स्कूल–कॉलेज, सभी प्रकार की दुकानें, सभी सरकारी–गैर सरकारी संस्थानें बंद रहेगी। लोगों को केवल अतिआवश्यक कार्य हेतु मास्क लगाकर निकलना होगा। आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। बाकी सम्पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। अचानक पूरा भारत बंद। आदमी अपने–अपने घरों में कैद हो गए।

यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैलते–फैलते पूरे विश्व में फैल गया। (कुछेक देशों को छोड़कर)। भारत में भी बहुत जोर–शोर से फैला। इस महामारी में अनगिनत लोगों ने अपने प्राण गंवाए। चूंकि इसका टीका अभी तक नहीं बन पाया है। हमारा जीवन कैदी का हो गया और घर कैद खाना।

निशा इसी विनाशकारी वायरस की चपेट में आनेवाली लड़कियों में से एक है। अब उसकी जीवनशैली ही बदल चुकी है। अभी पूरा देश इसी महामारी की चपेट में है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक खुले आसमान में सांस लेना मुश्किल ही होगा।

निशा स्वयं सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए देशवासियों से अपील करना चाहती है कि उसके देशवासी सरकार द्वारा सुरक्षा कवच के दिए गए मंत्रों को कण्ठस्थ कर लें तथा बगैर लापरवाही बरते सख्ती से पालन करें और अपने आप के अलावा देश को भी सुरक्षित रखें। निशा के इस कदम का मैं हृदय से स्वागत करती हूं तथा देश की सुरक्षा के लिए उसके विचारों से सहमत हूं। धन्यवाद।

झारखंड के कुछ प्रमुख शहर

– सौरभ शेखर झा, पूर्व अनुबंधित अनुवादक

चारों तरफ पहाड़ियों एवं वनों से भरा राज्य झारखंड प्रकृति का मनोरम स्थल है। एक बार जो यहां आया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है यहां की स्वर्णिम भूमि वन–संपदा से संपूर्ण है, इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है। जंगलों से भरे इस प्रदेश को झाड़खंड नाम से संबोधित किया गया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन आदि यहाँ मिले हैं। पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप में एक राज्य थे।

1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बन गए। बिहार के साथ झारखंड राज्य का विकास अच्छी तरह नहीं हो रहा था, इसलिए झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चलता रहा और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना और झारखंड भारतीय गणतंत्र का 28वां राज्य बना। इस नए राज्य में 18 जिले थे बाद में झारखंड के 24 जिले बने। अगर झारखंड एक माला है तो यहां के प्रमुख शहर उसकी मोती हैं। यहां कई सारे ऐसे शहर हैं जो आधुनिकता के साथ अपनी एतिहासिक महत्व को भी बनाए हुए हैं। यहां की प्राकृतिक छटा आपको एकदम से मोह लेती है। इस यात्रा में हम ऐसे ही कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे।

रांची : झारखंड के शहरों की बात हो और उसमें रांची की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी रांची झारखंड की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। पहले जब यह बिहार राज्य का भाग था तब गर्मियों में अपने अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। झारखंड आंदोलन के दौरान राँची इसका केन्द्र हुआ करता था। झारखंड की राजधानी राँची में प्रकृति ने अपने सौंदर्य को खुलकर लुटाया है। प्राकृतिक सुन्दरता के अलावा राँची ने अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के दम पर विश्व के पर्यटक मानचित्र पर भी पुख्ता पहचान बनाई है। गोंडा हिल और रॉक गार्डन, मछली घर, बिरसा जैविक उद्यान, टैगोर हिल, मैक क्लुस्किगंज और आदिवासी संग्राहलय इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इन पर्यटक स्थलों की सैर करने के अलावा यहां पर प्रकृति की बहुमूल्य देन झरनों के पास बेहतरीन पिकनिक भी मना सकते हैं। राँची के झरनों में पांच गाघ झरना सबसे खूबसूरत है क्योंकि यह पांच धाराओं में गिरता है। यह झरने और पर्यटक स्थल मिलकर राँची को पर्यटन का स्वर्ग बनाते हैं और पर्यटक शानदार छुट्टियां बिताने के लिए हर वर्ष यहां आते हैं। अगर आपको इसके बनने के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो पौराणिक कथाओं के अनुसार, आत्मा के साथ विवाद के बाद,एक किसान ने अपने बांस के साथ आत्मा को हराया। आत्मा ने रअयची रअयची चिल्लाया और गायब हो गया। रअयची राची बन गई, जो राँची बन गई।

जमशेदपुर : जमशेदपुर शहर, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखण्ड राज्य (बिहार से अलग होकर बना नवगठित राज्य), पूर्वोत्तर भारत, सुवर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे भारत के पूर्वी हिस्से के पहले नियोजित औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। जमशेदपुर ने आधुनिक युग से अपनी यात्रा शुरू की, जब जमशेदजी टाटा ने औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना शुरू की। मयूरभंज के महाराजा की सहायता से, जमशेदजी टाटा ने कुछ ब्रिटिश व्यापारियों के साथ जमशेदपुर की स्थापना स्टील सिटी के रूप में की। तत्कालीन मयूरभंज राज्य के बाबाघाटी क्षेत्र की गोरुमहिसानी पहाड़ियों को इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए मुख्य स्थल के रूप में चुना गया था। इसका कारण यह है कि हेमेटाइट की भारी मात्रा मौजूद है। 1908 में औद्योगिक युग की स्थापना के बाद, शहर का गठन धीरे–धीरे हुआ और 1912 के भीतर, जमशेदपुर को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया गया। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन्पलेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन, इत्यादि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेदपुर में पर्यटन में साकची, मैंगो सिटी, बिष्टुपुर, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, जुबली नीको एम्यूजमेंट पार्क, जुबली पार्क, डिमना लेक, रिम्स मीट, दलमा हिल्स, हिस्को लेक, श्री दोराबजी टाटा पार्क, गोल पहाड़ी मंदिर, भुवनेश्वरी जैसे कई स्थान शामिल हैं। मंदिर, घाटशिला और कई अन्य स्थान जो देखने लायक हैं।

धनबाद : धनबाद झारखंड में स्थित एक शहर है, जो कोयले की खानों के लिए पूरे देश में मशहूर है। यह औद्योगिक, सामाजिक,

सांस्कृतिक व वाणिज्यिक क्षेत्र में अग्रणी है। झारखंड में स्थित इस शहर को 'कोयला राजधानी' नाम से भी जाना जाता है। धनबाद को 'काले हीरे का नगर' के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा शहरों में से है, जिसकी आबादी पूरी गति से बढ़ रही है। यहां पर कोयले की अनेक खदानें देखी जा सकती हैं। कोयले के अलावा इन खदानों में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। खदानों के लिए धनबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह खदानें धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पर्यटन के लिहाज से भी यह खदानें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में इन खदानों को देखने आते हैं। खदानों के अलावा भी यहां पर अनेक पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। इसके प्रमुख पर्यटक स्थलों में पानर्रा, पंचेत डैम, बिरसा मुंडा पार्क, तोपचांची झील, पारसनाथ पहाड़ और मैथन डैम प्रमुख हैं। पर्यटकों को यह पर्यटक स्थल और खदानें बहुत पसंद आती है और वह इनके खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। हिन्दू पुराणों में देवताओं के चिकित्सक, दंतकथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर के मंथन से निकले अमृत की आकांक्षा की थी और समुद्र से अमृत का कलश ले कर धन्वंतरि निकले थे। पारंपरिक हिन्दू औषधि की महत्त्वपूर्ण पद्धति आयुर्वेद का श्रेय भी धन्वंतरि को जाता है। धन्वंतरि के नाम पर ही इस शहर का नाम धनबाद पड़ा। इस नाम का उपयोग अन्य अर्ध पौराणिक और ऐतिहासिक वैद्यों तथा एक पौराणिक राजा के लिये भी किया जाता है।

बोकारो : बोकारो जिला का निर्माण दिनांक 1 अप्रैल, 1991 को तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदनकियारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूरे बेरमो अनुमण्डल को विलय कर गठित किया गया। बोकारो जिला के पूर्व में धनबाद जिला तथा पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ अंश, पश्चिम में रामगढ़ जिला, दक्षिण में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तथा उतर में गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद अवस्थित है। पुराने वृहत मानभूम क्षेत्र के एक नगण्य हिस्सा होने के कारण बोकारो जिले के अधिकतर हिस्से का शुरुआती इतिहास पता लगाना मुश्किल है। मानभूम जिले की सेटेलमेन्ट रिपोर्ट, 1928 में यह बताया गया कि सर्वेक्षण और सेटेलमेन्ट कार्यों के दौरान कोई भी पत्थर शिलालेख, तांबे की प्लेट या पुराने सिक्कों की प्राप्ति नही हुई थी। सबसे पुराना प्रामाणिक दस्तावेज मुश्किल से सौ साल पुराना था। बोकारो जिला जो 1991 जनगणना तक धनबाद जिले का हिस्सा था, पूर्व में पुराना मानभूम जिले का हिस्सा था।

बोकारो स्टील सिटी का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। पूर्व में, छोटा नागपुर के जंगलों के भीतर मरापारी नामक एक गाँव था। पास का गाँव क्लस्टर चास था। पुरुलिया निकटतम शहर था और काशीपुर के महाराजा इस क्षेत्र पर शासन करते थे। यह क्षेत्र मान सिंह की विजय के बाद मुगल शासन में आया था। उनके बाद क्षेत्र को मन भूमि

कहा जाता था। पं जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ के सहयोग से पहले देशी इस्पात संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी। कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज और अन्य कच्चे माल की आसान उपलब्धता ने इसे स्टील प्लांट बनाने के लिए एक सही जगह बना दिया। स्टील प्लांट को शुरू में 29 जनवरी 1964 को एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, और बाद में सेल के साथ जोड़ दिया गया और इसे बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के रूप में जाना जाने लगा। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के प्रारंभ में स्टील प्लांट और टाउनशिप का गंभीर निर्माण हुआ। पहला ब्लास्ट फर्नेस 2 अक्टूबर 1972 को शुरू किया गया था। बोकारो स्टील सिटी में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान हैं। बोकारो स्टील प्लांट निश्चित रूप से उनमें से एक है। स्टील की बढ़ती मांग के साथ संयंत्र का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इतना ही नहीं कंपनी के सभी ब्लास्ट फर्नेस अक्सर एक साथ चालू हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टील प्लांट का दौरा करता है, तो उसे रॉ मैटेरियल हैंडलिंग, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप्स और रोलिंग मिल्स जैसे स्टील बनाने के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सकता है। बोकारो स्टील सिटी से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित गरगा बांध पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। अपने उज्ज्वल हरे वातावरण और विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों के साथ जगह स्कूल के भ्रमण और जैविक अभियानों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। फिर पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं। ये झारखंड के गिरिडीह जिले में बोकारो से थोड़ी दूरी पर स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। सबसे ऊंची

चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। यह जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है, जिसे लोग सममित सिखर भी कहते हैं।

देवघर : देवघर भारत के झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक जिला है। देवघर उत्तरी अक्षांश 24.48 डिग्री और पूर्वी देशान्तर 86.7 पर स्थित है। इसकी मानक समुद्र तल से ऊँचाई 254 मीटर (833 फीट) है। देवघर संथाल परगना के पश्चिमी भाग में अवस्थित है तो

उत्तर में बिहार का भागलपुर जिला है, तो दक्षिणी पूर्व में दुमका है और गिरिडीह पश्चिम में है। यह शहर हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ–स्थल है। इस शहर को बाबाधाम नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शिव पुराण में देवघर को बारह जोतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। हर सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है जो देश के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों से भी यहाँ आते हैं। इन भक्तों को काँवरिया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार में सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। यह एक प्राचीन नगर है, जो भगवान शिव को समर्पित 22 मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के आसपास कुछ बौद्ध कालीन पुरावशेष भी हैं।

देवघर का अर्थ है देवों का घर यानि जहाँ देवता निवास करते हैं। देवघर के अन्य नाम है बैद्यानाथ धाम, बाबाधाम आदि। हालांकि, इतिहास में बाबाधाम के उत्पत्ति का कोई खास उल्लेख नहीं है, लेकिन संस्कृत के कुछ लेखों में इसका उल्लेख हरिताकिवन या केतकीवन के नामों से किया गया है। यह नाम देवघर कुछ सालों पुराना ही प्रतीत होता है, संभवतः इस विशाल मन्दिर के निर्माण के पश्चात। इस मंदिर के निर्माणकर्ता के विषय में अधिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर माना जाता है कि पूरण मल, गिद्धौर के महाराज के वंशज ने 1596 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। धार्मिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त देवघर की अपनी ऐतिहासिक पहचान भी है। यहां के वैद्यनाथ मंदिर के निर्माण का अपना इतिहास है। यहां अनेक पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर, मूर्तियां, शिलालेख और अन्य प्रतीक विद्यमान हैं। इसके साथ ही अनेक महापुरुष भी समय–समय पर देवघर आकर यहां का महत्व बढ़ाते रहे हैं। इन सबको ऐतिहासिक चित्रों के माध्यम से 'इतिहासघर' में सहेजा गया है।

दुमका : दुमका झारखण्ड राज्य की उप–राजधानी है और साथ ही यह सन्थाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। मंदिरों की यह भूमि और राज्य की उप–राजधानी होने के प्रतीक के रुप में प्रसिद्ध दुमका विशाल पहाड़ियों और विशाल जंगल से घिरा हुआ है। विभिन्न राज्य के लोग इस जिले के धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थानों पर आते हैं। दुमका वैसे तो आदिवासी बहुल जिला है लेकिन झारखंड से अलग होने के बाद से इसका काफी विकास हुआ है। दुमका शहर की बात की जाए तो मयूराक्षी नदी की दो सहायक नदी महारो और पुसारो नदी आपका स्वागत करती है। यहां आसपास कई सारे पूजा स्थल है जिनमें बासुकीनाथ का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर, मंदिरों का गांव मलूटी और सृष्टी पहाड़ है। आप थोड़ा आगे बढ़ेगे तो आपको मसानजोर डेम के रमणीक नजारे को देखने का मौका मिलेगा। शहर से कुछ ही दूरी पर चूटोनाथ मंदिर है जो कि एक जंगल और पहाड़ो के बीच स्थित यहां के स्थानीय लोगों के आस्था का एक केंद्र है। यहां जाने पर आपको पता चलता है कि शिव को आदि देव क्यों कहा जाता है। यहां आदिवासी और गैर–आदिवासी दोनों ही अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं।

इन सबके अलावा आप घाटशिला, गोमो, झरिया, चाईबासा और पाकुड़ को कैसे भूल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप थक सकते हैं लेकिन इस प्रदेश के शहर हर पल आपको अपने प्राकृतिक जादू से आकर्षित करते रहते हैं। आज भी आप यहां वर्षों पुरानी संस्कृति को जीते लोगों को देख सकते हैं। यह धरती के सबसे पुराने भूखंड का भी हिस्सा माना जाता है जिसका इतिहास कितना पुराना है इसका सटीक दावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो जब भी मौका मिले तो इन बड़े शहरों के अलावा झारखंड के पुराने शहरों की भी यात्रा करें, दावा है कि ये शहर आपको मायूस नहीं करेंगे और आप इसकी प्राकृतिक वादियों में खो जाएंगे।

काव्य सुधा

अनकही

राहुल शाक्य
(सहायक प्रबंधक)

एक दबी छिपी अनकही सी मोहब्बत,
एक सुखद सा एहसास, जो सदैव से था और सदा के लिए।
खता उसकी भी न थी, ना दोष मेरा,
बस चुप रहे हम, किसी–न–किसी, की खुशियों के लिए।
बंटते रहे हम, औरों के संग के लिए।

ऐसा भी नहीं के इज़हार नहीं हुआ,
कुछ बोल के किया जाए वैसा प्यार नहीं हुआ।
गिला, शिकवा, शिकायत.....है तो बहुत,
तो करे किससे।
उसका एक–एक ख्याल पसंद है.....
पर कहें किस्से।

दिल करता है एक उबाल आए,
आस्मां गिरे या ज़मीन फटे,
अरे कुछ तो ऐसा हो, कि लहरें, पर्वत से मिल जाएं।

कभी सोचता हूं, के कह जाऊं,
जो इल्म हम दोनों को है उसे प्रत्यक्ष रख आऊं।
फिर अच्छाई–बुराई, सही–गलत,
इन सब में खो जाता हूं मैं,
सोचते–सोचते यूं ही रह जाता हूं मैं।

सखि प्रियतम हम भरमायो

श्री नत्थू अग्रवाल
(पिता श्री नितिन अग्रवाल, उप प्रबंधक)

पावस बूंद परत तन पर जनु
अगन मेह बरसायो।
बसत दूर परदेस पिया मोहि
भांति बहुत तरसायो।
सखि प्रियतम हम भरमायो. . . . . .

सात जनम संग झांसे महि हम
पायो जनम गंवायो।
पाती में आवनि की लिखि–लिखि
घरै कन्त नहि आयो।
सखि प्रियतम हम भरमायो. . . . . .

तिय की पीर चितै काहे पिय
रतन रूप धन पायो।
सेवत सौंत रूप–रसि छकि–छकि
धाय हमें बिसरायो।
सखि प्रियतम हम भरमायो. . . . . .

हम जनु बंधी गाव खूटन तैं
पावस रंभै बितायो।
सागरी रात मयंक घूरत हम
वासर भानु जरायो।
सखि प्रियतम हम भरमायो. . . . . .

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

किफायती हरित आवास

घर खरीदार के लिए

सनरेफ–इंडिया

वर्ष 2008 में सृजित, सनरेफ (प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा वित्त का सतत उपयोग) एएफडी का हरित वित्त लेबल (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) हैं

सनरेफ इंडिया आवास कार्यक्रम का उद्देश्य देश में आवास उद्योग के वातावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है जहाँ 70% आवासीय इकाईयाँ अब से लेकर 2030 तक बनाई जानी हैं एएफडी और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित, रा.आ.बैंक (राष्ट्रीय आवास बैंक)का उद्देश्य गृह क्रेताओं, सार्वजनिक या निजी आवास परियोजना डेवलपर्सयाप्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई)1के साथ पुनर्वित्त परिचालन के माध्यम से 12,000 निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को हरित एवं किफायती आवास तक पहुंच आसान बनाना हैं

सनरेफ का केंद्रित क्षेत्र

- आवास हेतु मौजूदा स्थानीय हरित लेबल को बढ़ावा देना
- आवास हेतु मौजूदा स्थानीय हरित लेबल को बढ़ावा देना
- आवास को हरित तकनीकों का उपयोग करके रहने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाना
- बाजार क्षमता और हरित आवास की प्रासंगिकता का प्रदर्शन करना
- सार्वजनिक नीतियों में हरित आवास के अनुकूल नियमों को अपनाने में प्रोत्साहित करना

गृह क्रेताओं के लिये पात्रता मानदंड

- भारत में किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में किसी भी शहरी क्षेत्र में स्थित आवास परियोजना;
- आवासीय परियोजनाएं जिन्होंने आईजीबीसी हरित गृह प्रमाणन के अंतर्गत स्वर्ण या प्लेटिनम रेटिंग; या जीआरआईएचएहरित प्रमाणन के अंतर्गत 4 या 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की हैं;
- भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी आबादी को लक्षित करने वाली आवास परियोजनां
- ऋण प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर प्रदान किया प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा जाएगा। रा.आ. बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को उनके पात्र वैयक्तिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त दिया जाता है।
- वैयक्तिक आवास परियोजनाएं (किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर बनाया गया आवास) पात्र नहीं हैं

सम्पर्क: सनरेफ इंडिया कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक में फोन नं० 011–3918 1065 पर सम्पर्क करें।

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

यथा 30/06/2020 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के तहत पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों की सूची

कंपनियां जो सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकती हैं

1. केन फिन होम्स लिमिटेड
2. सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
3. दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
5. हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पो. लि.
6. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पो. लि.
7. आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लि.
8. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.
9. मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस सिंडीकेट लि.
10. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.
11. सुंदरम होम फाइनेंस लि.

कंपनियां जिनको सार्वजनिक जमा स्वीकार करने हेतु पूर्व में लिखित अनुमति लेनी होगी

1. सरल होम फाइनेंस लिमिटेड
2. जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
4. नेशनल ट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस लि.
5. रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड
6. एल एण्ड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कंपनियां जो सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं

1. मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
2. प्रॉस्पर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
3. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि.
4. इंडिया होम लोन लि.
5. रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
6. महिंद्रा रुरल हाउसिंग फाइनेंस लि.
7. मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्टगेज फाइनेंस लि.,
8. ओरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
9. सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरशन लि.
10. इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
11. एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लि.
12. स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि.
13. वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.,
14. रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड
15. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड
16. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
17. स्वर्ण प्रगति हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि.
18. एक्मे स्टार हाउसिंग फाइनेंस लि.
19. पंथोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि.
20. एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लि.
21. एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लि.
22. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लि.
23. शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि.
24. मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि.
25. श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लि.
26. आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड
27. मण्णापुरम होम फाइनेंस लिमिटेड
28. न्यू हैबीटेट हाउसिंग फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट लि.
29. हेबीटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रा. लि.
30. होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
31. डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.
32. वीवा होम फाइनेंस लिमिटेड
33. मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लि.
34. मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड
35. आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि.
36. मेंटर होम लोन्स इंडिया लि.
37. आर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लि.
38. ममता हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लि.
39. सेवा गृह ऋण लिमिटेड
40. फास्टट्रेक हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.
41. फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लि.
42. सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लि.
43. निवारा होम फाइनेंस लिमिटेड
44. खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.
45. केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लि.
46. बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
47. हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
48. आईकेएफ हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
49. वेस्ट एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
50. उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
51. एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.
52. इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लि.
53. केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.
54. सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
55. मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लि.
56. आनंद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
57. नवरत्न हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
58. एल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
59. क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.
60. हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
61. पिरामल हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
62. सटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
63. जेएम फाइनेंसियल होम लोन्स लिमिटेड
64. आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
65. रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
66. फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
67. बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
68. एपेक हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
69. वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड
70. अदानी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
71. ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड
72. सस्वीथा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
73. वाराशक्ति हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
74. कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड
75. स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
76. नन्यासुरभि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसियल लि.
77. इंडी होमफिन प्राइवेट लिमिटेड
78. अहम हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
79. ज्योति हाउसिंग एण्ड मॉर्टगेज फाइनेंस प्रा. लि.
80. नॉर्थ इस्ट रीजन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
81. एस्सल फाइनेंस होम लोन्स लिमिटेड
82. अर्थार्थ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
83. फाइव स्टार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
84. बी स्क्योर होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–24649031–35, फैक्स : 011–24646988
वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता